

श्रीवीतरागाय नमः

दम्पतिसुखसाधन

प्रथमभाग

जिसको

संभल-ग्रामनिवासी फूलचन्द्रात्मज

स्वरूपचन्द्र सेठीने

बनाया.

वही

सर्व साधारणके हितार्थ

मुम्बयीस्थ

जैनहितैषी पुस्तकालयने

मुम्बईके "कर्नाटक प्रेसमें" छपाकर

प्रसिद्ध किया.

—:0:—

सन १९०१ ई.

पुस्तक नं. ६.

प्रथमवार ३०० प्रति.]

[मूल्य ३ आने.

प्रस्तावना.

वर्तमानममयमें विद्योन्नतिके प्रभावमें अनेकानेक आवश्यकीय विषयोंकी उन्नति होने लगी परन्तु विचार करके देखा जाता है तो दाम्पत्यसुखकी (स्त्रीपुरुषोंके गार्हस्थ्यसुखकी) दिनोदिन अवनति ही दृष्टिगोचर होती है. सो इसी सुखकी उन्नतिकी उपाय करनेकी तरफ ध्यान खींचनेकेलिये यह दम्पतिमुख-साधन नामकी पुस्तक लिखी गई है. और आजकल पाश्चात्य विद्याके प्रभावमें हमारे नवयुवक वाचस्पतिवदन्तमी पुरानी चालोंको पसन्द नहीं करते. इसकारण नयी रीतियोंकी अवलम्बन करके नईरिश्तानीवाले वाचस्पतिके मनोऽनुकूल करनेमें भी परिश्रम किया गया है. परन्तु इसमें कहानिक कृतकार्ये हुवा है. सो पाठक महाशय ही विचार सचेत हैं. इसके पढ़नेमें यदि एक भी दम्पतीका हितसाधन हुवा तो मैं अपने परिश्रमको सफल समझूंगा.

मुरादाबाद

कार्तिक कृष्ण १९ अश्विन १९५५ वि.

सर्वसाधारणका हितैषी

स्वरूपचन्द्र सेठी.

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

पन्नालाल जैन मालिक—

जैनहितैषी पुस्तकालयः

पो० गिरगांव सुम्बई.

श्रीवीतरागायनमः

दम्पतिसुखसाधन.

(प्रथम भाग.)

सौरठा.

शशिसमश्वेत 'स्वरूप, चन्द्र' चरण चहकर कृपा ॥
लिखूं सकल हित रूप, दम्पतिसुखसाधन प्रथम ॥ १ ॥

विशेष कर्तव्य.

(१)

मनुष्योंके जन्मभरमें जितने कार्य हैं; उनमेंसे विवाह करना सर्वोपेक्षा मुख्य समझा जाता है. कारण समस्त सांसारिक सुख प्रायः इस विवाहसे ही सम्बन्ध रखते हैं. विवाहसे कुटुम्बकी सृष्टि होती है, समस्त कुटुम्ब मिलकर रहनेमें सुख तथा दृष्ट भी अनेक हैं. परन्तु विवाह करने किसे उपायसे सुखी हो सके हैं, यह ही इस पुस्तकके लिखनेका मुख्य उद्देश्य है.

समाजमें विवाह-विधि प्रचलित होनेसे अनेक लाभ हैं और विवाह होनेपर कोई किम्पका त्याग नहीं कर सक्त. यह रीति और भी अतिशय लाभदायक है. इस कारण पति पत्नी हमेशादृ मुश्किले पाल्दयताम करते रहें; इस विषयमें दोनों को ही विशेषतया उपाय करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है. जिनको इस उद्देश्यके साधन करनेकी इच्छा होय तो सबसे पहिले पतिको स्त्रीका स्वभाव व रुचि भले-प्रकार जान लेना चाहिये. और स्त्रीको भी पतिके स्वभाव व रुचिको विशेषतया जान लेना चाहिये. क्योंकि एक दूसरेके स्वभावको न जाननेसे अनेक दम्पती (पति और पत्नी) हमेशाहकेलिये दुःखमें ही कालव्यतीत कर रहे हैं. हमारे प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि—अनेक पुरुष गुणवती रूपवती और विश्वावसी पत्नीको पाकर भी सुखी नहीं होते. और अनेक, रूपवान् गुणवान् विद्वान् पति भी स्त्रीको सुखी करनेमें असमर्थ होते हैं; सो परस्परके स्वभावको न जानना ही इस विरदुःखका मूलकारण है.

बहुधा देखनेमें आता है कि पति, स्त्रीकी अपेक्षा बुद्धिमान् और विद्वान् होता है, परन्तु इस अवस्थामें स्त्रीको कुछ भी न समझ होताच नहीं होना चाहिये,

किन्तु स्त्रीके मनोऽनुकूल चलकर उसको अपनी सदृश बुद्धिमती व विद्यावती करनेमें सदैव यत्न करते रहना ही सच्चे बुद्धिमानका मुख्य कर्तव्य है, यदि तुम अपनी स्त्रीको ही विद्यादिकसे उन्नत करनेमें असमर्थ हुये तो फिर तुमसे देश व स्वजातिकी उन्नति होनेकी तो आशा ही क्यों कर हो सकती है ?

इसीप्रकार स्त्रीको भी चाहिये कि-पति यदि अल्पबुद्धि व मूर्ख होय तो उसके मनोऽनुकूल चलकर अपने प्रेममें वश करके अपनी सदृश बनानेमें पूर्णतया यत्न करे, स्त्री जिस कार्यको अच्छा समझकर करना चाहे और वह कार्य यदि बहुत खराब न होय और उसके करनेसे किसीकी हानि होना असंभव होय तो पति-को चाहिये कि-उसके करनेमें सम्मति दे, परन्तु उसके पीछे उत्तय अवसर देखकर शान्तभावसे उस कार्यके दोषगुण भलेप्रकार समझा देना चाहिये, जिससे वह प्रसन्नताके साथ उन दोषोंको समझकर उस कार्यके करनेका सर्वथा त्याग कर दे, यदि सम्मति लेने समय ही खंडन मंडन करके उस कार्यसे विरक्त करनेका उपाय करोगे तो सहस्रगुणा अच्छा होनेपर भी स्त्रीके मनको तुम्हारा उपदेश अच्छा नहीं लगेगा, इसीप्रकार स्त्रीको भी चाहिये कि-प्रथम ही पतिकी इच्छानुसार चलकर धीरे २ उस कार्यके गुणदोष दिखाकर पतिको उस कार्यसे विरक्त करे, इसप्रकार करनेसे जो स्त्री वशमें नहीं है, वह अवश्य ही पतिके वशाभूत हो जायगी और जो पति स्वच्छचरी है, वह भी स्त्रीके वशाभूत हो जायगा,

स्त्री यदि खराब होय तो भी उसके सद्गुणोंकी स्मरण करके उससे प्रेम करनेका यत्न करना चाहिये, यदि ऐसा करनेपर भी प्रेम उत्पन्न न होय तो ऐसे अनेक पुरुष हैं कि-जिनकी स्त्रियें अनिश्चय खराब हैं और वे प्रेमके साथ रहते हैं, उनको स्मरण करके ही उससे प्रेम करना चाहिये, और कभी २ अपने रूप गुणका भी विचार करना चाहिये, इसीप्रकार स्त्रीको भी प्रवर्तना चाहिये, अर्थात् पति चाहे जिनना खराब क्यों न हो उसके सद्गुणोंका तरफ ही दृष्टि रखना चाहिये,

यदि भगवत्प्रवचनः ऐसा ही वन पड़े कि स्त्रीके अथवा पतिके रूप गुण विद्या बुद्धि आदि मन्त्रोंमें त्रुटि हैं तो भी धर्मशास्त्रानुसार परस्पर प्रेम करना ही उचित है, क्योंकि विद्याहर, म्वन्ध तो कुछ छुट ही नहीं सक्ता, उमर भर निवाहना ही पड़ेगा, परस्पर प्रेम न होनेसे सुख होनेकी जगह दुःख ही होगा, इसकारण रूप गुण हो चाहे न हो मैं तो प्रेम करूँगीगा, इसप्रकार दृढप्रतिज्ञा करनेसे ऐसी अवस्थामें भी परस्पर प्रेम व सुल हो सका है,

ऐसी बहुतसी स्त्रियें देखनेमें आती हैं कि-पतिके मुखसे अन्य स्त्रियोंके

व गुणोंकी प्रशंसा सुननेसे नाराज होती हैं और पतिके चाल चलनमें सन्देह करने लग जाती हैं. यदि स्त्रीका स्वभाव ऐसा हो तो पतिको चाहिये कि—उसके सम्मुख किसी स्त्रीके भी रूप गुणकी प्रशंसा न किया करै. इसी प्रकार स्त्रीके मुखसे अन्यपुरुषोंके रूप गुणकी प्रशंसा सुननेसे अनेक पति स्त्रीके चालचलनमें सन्देह करने लग जाते हैं. यह दोष पुरुषोंमें अधिक देखा जाता है. इस कारण स्त्रियोंको सदैव सावधान रहना चाहिये कि—अपने पतिके पास किसी अन्य पुरुषके रूप गुणकी प्रशंसा कदापि न किया करै. क्योंकि सन्देहरूपी पिशाच जिसके पीछे लग जाता है. वहां प्रीति व सुखका जड़मूलसे नाश हो जाता है.

बहुधा कर एकान्तमें परस्त्री व परपुरुषके साथ एकत्र रहना व वार्तालाप करना किसी प्रकार भी पति व पत्नी दोनोंको ही उचित नहीं. क्योंकि ऐसा करनेसे मन चलायमान हो जाता है. यदि किसीका मन चलायमान न भी होय तो दोनोंको परस्पर संदेह होनेकी तो पूर्णतया संभावना है. जिससे किसी प्रकारका सन्देह हो जाय, ऐसा कार्य क्या स्त्री क्या पुरुष किसीको भी करना उचित नहीं.

जिस बातके कहनेसे वा जिस उपहासके करनेसे स्त्रीके मनको कष्ट हो, उसके त्याग करनेका यत्न पतिको सदा ही करना चाहिये. अनेक पति स्त्रीके माहरे सम्बन्धी दोषोंको प्रगट करके हैंस्य करनेमें और स्त्रीको चिड़ानेमें कसर नहीं करते, परन्तु ऐसा करना अतिशय अनुचित है. क्योंकि इससे स्त्रियोंके वित्तपर अनिश्चय चोट लगती है. यह दोष स्त्रियोंमें बहुत कम देखा जाता है. परंतु अमीरोंकी पुत्रियोंमें प्रायः देखनेमें आता है कि—वे पतिके माता पिता दादे आदिके दोषोंको प्रगट किया करती हैं, परन्तु यह आदत सर्वथा छोड़ देना चाहिये.

पति यदि दरिद्री व छोटी उमरका व वृद्ध होतो स्त्रियोंको असंतोष प्रगट करना कदापि उचित नहीं. क्योंकि स्त्रीको असन्तुष्ट देखनेसे पतिको जो कष्ट होता है, वह वचनके अगोचर है. इस कारण स्त्रियोंको इस विषयमें सावधान रहना चाहिये. स्त्रीको प्रसन्न रखनेकी सबके ही आन्तरिक इच्छा है, परन्तु दुर्भाग्यवशतः सुखी नहि कर सके तो वे मन ही मनमें अतिशय दुःखित होते हैं. तिसपर भी यदि स्त्रियोंको असन्तुष्टताका प्रकाश होना व कटूक्ति होना तो कटेहुये घावपर नमक नूरकाना है. सो यह सभी स्त्रियोंको ध्यानमें रखना चाहिये.

स्त्री पतिकी कीर्ति सुनती है तो अपनेकी अनिश्चय धन्य मानती है और किनोदिन पतिसे अतिशय अनुराग प्रगट करती है. इस कारण पुरुषोंको चाहिये कि—हमेशह सत्काश्योंका अनुष्ठान और सत्काश्योंमें साहस प्रगट करनेका प्रयत्न करै. परन्तु उसकेलिये पर आकर स्त्रीके पास अपनी झूठी बहादुरी दिखाकर प्रशंसा न किया करै; क्योंकि तुममें बहादुरी है या नहीं इस बातकी परीक्षा

करते स्त्रीको कुछ भी देर नहिं लगती, अनेक स्त्रियोंमें भी यह दोष देखा जाता है सो सर्वथा त्याग करना चाहिये, हीं कथा प्रसङ्गसे एक दो गुण अपने मुखसे प्रगट कर देनेमें कोई हानि नही है किन्तु प्रीति बढ़नेका कारण है,

पतिको किसी प्रकार भी कष्ट न हो, इस विषयमें स्त्रियोंको विशेषतया सावधानी रखनी चाहिये, पति यदि किसी दुश्चिन्तामें अधीर होजाय तो धीरें र सान्त्वन करना चाहिये, और पतिके साहसको बढ़ाना चाहिये, क्योंकि प्रियतमाकी सान्त्वनासे कोई भी दुश्चिन्ता नहिं रहने पाती, और स्त्रीकी तरफसे साहस होनेपर पुरुषगण हजारों विपदोंको टाल सकते हैं, स्वामीके रुम होनेपर तो सेवा करना ही है, परन्तु स्वस्थ अवस्थामें भी खाने पिलाने नहाने आदिमें भलेप्रकार सेवा करनी चाहिये, स्त्रीने रोग शोक होजाय तो पतिको करना उचित है, यद्यपि स्त्री पतिसे टहल कराया नहिं चाहती, परन्तु पतिको इस विषयमें उदासीन नहिं होना चाहिये, खाने पीनेके विषयमें स्त्री अपने मुखसे कुछ प्रगट न करे तो भी पतिको दृष्टि रखनी चाहिये,

सतीत्व (पतिव्रता) स्त्रीके मुख्य आभूषण है, यह बात सभी जानते हैं, स्त्रीमात्र इस बातको भलेप्रकार जानती है, अतएव इस बातको विशेषतया कहनेकी कोई आवश्यकता नही है, पति स्त्रीके हजारों अपराधोंको क्षमा कर सकता है, परन्तु असतीत्वदोष (व्यभिचारदोष) को किसी प्रकार भी क्षमा नहिं कर सका, सती पतिव्रता स्त्री घरकी लक्ष्मी होती है और आदर करने योग्य वस्तु है, इस बातको स्मरण रख समस्त स्त्रियोंको चलना चाहिये, अर्थात् प्राणान्त होनेपर भी परपुरुषसे रमनेकी बांछा स्वप्नमें भी नहिं करनी चाहिये, आजकल इस दोषसे दूषित बहुधा पुरुष हीं देखनेमें आते हैं, बलके बहुतसे अविवेकी तो अपने व्यभिचारदोषको किसी अपराधमें हीं नहिं गिनते, और न आत्मीय स्वजन व स्त्रीको मालूम होनेपर लज्जित वा भयभीत हीं होते, समाजकी तरफसे (पंचोंकी तरफसे) भी पुरुषके व्यभिचारी होनेका कोई विशेष प्रायश्चित्त (दंड) देनेमें नहिं आता, परन्तु चाहे कोई दंड दो, अथवा न दो, परन्तु हमेशाह माद रक्षना कि इस प्रकारके आचरणसे स्त्रियोंको मर्मान्तिक यन्त्रणा (पीडा) सहनी पड़ती है कष्टके मारे उनका हृदय फट जाता है, तुमारे उपरि उनका विशेषतया अधिकार नही है; इसकारण तुमसे न कहकर मन हीं मनमें जलती रहती हैं, घरके कार्योंमें भी उनका इतना उत्साह नहिं रहता, और जिनके पति निर्दोष हैं, उनके निकट हमेशाह लज्जित हीं रहा करती हैं, ऐसा भी देखनेमें आया है कि जिसका पति व्यभिचारी है, उसके चित्तसे भी क्रम र से व्यभिचारदोषकी घृणा कम हो जाती है, और वह भी परपुरुषसे रत हो जाती है, इसकारण ऐसे

बुद्धदायक व हानिकारक पापकार्यमें लिप्त होना किसी भी पतिको उचित नहीं है. यदि दैवयोगसे वा अज्ञानतासे एक दो बार ऐसा पापकार्य पतिपत्नीमेंसे किसीके द्वारा बन भी गया हो तो वह कदापि प्रकाशित नहीं करना चाहिये. क्योंकि उसके प्रकाश होनेसे हमेशाहके लिये प्रीति दूट जानेकी संभावना है. बलके झीका यह दोष प्रगट होनेसे तो बहुत ही हानि होता है.

पतिपत्नीका हमेशाह एक ही जगह रहना हो, इस विषयमें अतिशय प्रयत्न करना चाहिये. क्योंकि एक जगह रहनेसे प्रीतिकी वृद्धि होता है. चाल चलन भी ठीक रहता है. यदि कारणवशात् पतिको परदेशमें रहना पड़े अथवा दिन-भर उनको दुकान वा बाजार व नोकरीमें रहना पड़े तो दो बार अन्य गृहस्थोंकी सञ्चरित्रा स्त्रियोंसे सदैव वार्तालाप होता रहै; इसप्रकारके बन्दोबस्तसे रहन चाहिये. सो दश सद्गृहस्थोंके मुहल्लेमें रहनेसे ही यह प्रबंध हो सक्ता है. एक ही गृहस्थको अकेला रहनेसे वार्तालाप करने योग्य स्त्रियोंकी अप्राप्तिमें लाचार होकर स्त्रिये नोकर व नोकरानीके साथ सदैव वार्तालाप करके दिन काटती हैं और नोकर नोकरानीके साथ सदैव वार्तालापका होना वा घनिष्टता उत्पन्न होना कदापि निरापदका कारण नहीं हो सक्ता.

पित्रालयमें (माहुरमें) एक ही बार बहुत काल पर्यन्त स्त्रियोंको कदापि नहीं रहना चाहिये. बड़े लोगोंका पुत्रिये अथवा दरिद्र पुरुषोंकी स्त्रिये बहुधा पित्रालयमें ही दिन बिताया करती हैं. परन्तु इस प्रकार करना अतिशय अन्याय है. हमेशाह माके घर रहनेसे प्रथम तो गृहस्थपनेके कार्योंकी शिक्षामें बाधा पड़ती है. दूसरे व्यभिचार दोष भी बन जाता है. इसकारण हे अमीरोंकी लड़कियो ! तुम हमेशाह पिताके घर रहनेमें लज्जा नाहे समझती? जब विवाह होगया तभीसे तुम पराई हो गई! अब सास शशुरकी सेवा करके उनका प्यारी बनकर गृहस्थ धर्मको पालन करो ! जिससे तुमको सुख हो. और हे दरिद्रपतिकी स्त्रियो ! तुमको निरुपाय होकर बहुधा पिताके घर रहना पड़ता है. तो अत्यन्त सावधानीके साथ रहना चाहिये. सशुरके घर जिसप्रकार लज्जा और शीलके साथ रहती हो उसीप्रकार पिताके घर भी पतिकी ध्यान लगाये रहा करो.

बहुतसे लोग दूरकी शोचकर अदृष्टिदोषसे दूसरा विवाह करलेते हैं. परन्तु प्रथम स्त्रीके वर्तमान रहते दूसरा विवाह करना नीच पुरुषोंका काम है. क्योंकि आजकलके समयमें दो स्त्रीका पति कदापि सुखी नहीं हो सक्ता. दूसरा विवाह करनेसे दोनोंके ही अपार दुःख व द्वेषभाव प्रबल हो जाते हैं. शेषमें चालचलन भी ठीक नहीं रहते. इसप्रकारकी स्त्रियोंकी अतिशय शोचनीय दशा हो जाती है. परन्तु जो कुछ हो, ऐसी अवस्थामें भी स्त्रियोंको चाहिये कि—जिससे पति

सुखी हो सकें, उसी माफक प्रयत्नमें पतिके दोषी होनेपर भी अपने र कर्तव्यमें झुकना नहि चाहिये। दूसरा विवाह करनेके समय सबको विचार पूर्वक काम करना चाहिये।

पैंतीस वर्षके बाद किसीको भी विवाह करना उचित नहीं। क्योंकि आजकल पुरुषगण प्रायः ५० वर्षके भीतर ही मर जाते हैं, चालीस वर्षके बाद अनेक पुरुषोंको इन्द्रियक्षीणता व शारीरिक दुर्बलता प्राप्त हो जाती है। ऐसी अवस्थामें १३ वर्षकी सुकुमार बालिकासे विवाह करके हमेशाकेलिये उसको वैधव्य दुः-स्वसागरमें डबो देना अत्यन्त निर्दयी क्रूरताका काम है। वृद्ध अवस्थामें बालिकासे विवाह करके युवक पुरुषोंकी सदृश चलनेसे जो निन्दा व हँसी होती है, उसका कुछ भी विचार नहि करते; सो यह बड़ी शर्मकी बात है।

सांसारिक कार्योंके करनेमें स्त्रीपुरुषोंमें प्रायः विवाद खड़ा हो जाया करता है। इस जगहँ यदि दोनोंमें स्त्री अधिकतया क्रुद्धित हो जाय तो पतिको चुप रहना चाहिये। और पति अधिक क्रुद्धित हो जाय तो स्त्रीको चुप रहना चाहिये। यदि दोनों ही जातनेकी इच्छा करेंगे तो विवाद बहुत बड़ जायगा। क्रोध शान्त होनेपर किसी समय दोषगुणका विचार किया जायगा तो हर्षाकृतमें किसका अपराध है, सहज ही मालूम हो जायगा और विवाद भी मिट जायगा। क्रोधके समय कोई भी अपना दाँप स्वीकार नहि करता। विवाद (झगडा) होनेपर चुप रहना बहुत कठिन है, परन्तु ती भी चुप होनेकेलिये उपाय करना चाहिये।

शिक्षा.

(२)

पुरुषगण तो प्रायः सभी पढ़ना लिखना जानते हैं परन्तु हमारे यहाँकी स्त्रियों सबकी सब अक्षरज्ञानसे शून्य हैं, ऐसा कहें तो भी अत्युक्ति नहीं है। आजकल पुरानी रीशनीवालोंकी अपेक्षा नयीरीशनीवाले बाबुगण अधिकतर विद्वान् और रसिक भी अधिकतर होते हैं। जिसप्रकार पुरानी चालवाले मूर्खा स्त्रियोंके साथ सुखसे कालव्यतीत कर सके हैं, उसप्रकार हमारे नवयुवक बाबुगण कदापि नहि कर सके। स्त्री बिल्कुल ज्ञानशून्य होनेपर हमारे बाबुगणोंको दुःखका पार नहि रहता। स्त्रीको सुशिक्षित करनेकेलिये अतिशय उद्विग्न रहते हैं। स्त्री यदि कुछ भी लिख पढ़ सकी हो तो हमारे बाबुगण अपनेको अतिशय धन्य मानते हैं। भलेप्रकार पढ़ना लिखना जाननेसे स्त्रियोंका कितना उपकार होगा है, उसके समझानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज कल प्रायःसभी जने इस बातको जानने

लगगये हैं कि-स्त्रीका सुशिक्षित होना अतिशय आवश्यकीय कार्य है, परन्तु स्त्रियोंके साधारण लिखने पढ़नेसे बहुतसे महाशय हानि समझते हैं. और कहते भी हैं. कि "अल्पविद्या भयङ्करी" इससे सिवाय हानिके कोई लाभ नहीं होता. इसकारण वे स्त्रीशिक्षाकेलिये कुछ भी प्रयत्न नहीं करते और किसीको साधारण लिखना पढ़ना आता भी हो तो उसको उत्साह न देकर उल्टी निंदा करते हैं. सो यह उनकी बड़ी भारी भूल है. कल्पना करो कि-तुम विदेशमें हो और तुम्हारी स्त्री लिख पढ़ सक्ती है तो तुम पत्रद्वारा अपने हृदयके कपाट खोलकर आन्तरिक सुखदुःखको प्रकाशित कर तृप्तिलाभ कर सक्ते हो, सांसारिक गुप्तवार्ता केवलमात्र स्त्रीको ही कहनेकी आवश्यकता हो तो सहजमें ही पत्रद्वारा कह सक्ते हो. यदि स्त्रीको लिखना पढ़ना नहीं आता हो तो यह इच्छा कदापि पूर्ण नहीं हो सक्ती, इसीप्रकार विरहकातरा स्त्रियें भी पत्रद्वारा अपने प्रियपतिके चरणोंमें अपने सुखदुःखको गुप्तभावसे निवेदन कर बहुतसा दुःख दूर कर सक्ती हैं. यदि किसी प्रकारकी गुप्त सम्मति लेनी हो तो पत्रद्वारा भले प्रकार ली जा सक्ती है. इसके अतिरिक्त हिन्दीभाषामें लिखेहुये धर्मशास्त्र और उत्तमोत्तम सम्वादपत्र तथा उत्तमोत्तम नाटक उपन्यास पढ़कर ज्ञानकी उन्नतिके सिवाय सुखसे बालक व्यतीत कर सक्ती हैं. और जो स्त्री पढालिखी हुई होती है उसके बालक भी शीघ्र ही विद्याभ्यासमें मग्न हो अतिशय विद्वान् हो जाते हैं. क्योंकि बालक बहुधा कर माताके ही पास अधिक रहता है. सुशिक्षित माता बालकको चाहे जैसा सहजमें ही बना सक्ती हैं. कोई २ अविवेकी ऐसा भी कहते हैं कि-स्त्रियोंका पढ़ना लिखना, असह्यइच्छा साधनेका प्रधान उपाय है. उनसे हम पूछते हैं कि-पढालिखी स्त्रियोंमेंसे कौन २ भी कुपथगामिनी हो गई हैं ? इतिहासज्ञान धन्य वे पढ़ी स्त्रियें भी कुसंगतिमें पढ़कर कुपथगामिनी हो जाती हैं. फिर लिखने पढ़नेको ही किसप्रकार दोष दे सक्ते हो ? बहुतायतसे अशालील पुस्तकें पढ़नेसे किसी २ स्त्रीकी कुप्रवृत्ति प्रबल हो सक्ती है. परन्तु स्त्रियें ऐसी पुस्तकें न पढ़ने पावे, इम विषयमें पतिगणोंको दृष्ट रखनी चाहिये. जब स्त्री पढ़ाहुई न हो, उस समय भी तो उसके चालचलन ठीक रखनेकेलिये यत्न करते हो, उसी प्रकार विद्यापढ़नेके पहिले पीछे भी सावधानी रखनेमें क्यों नहीं यत्न करते ?

बहुतसे महाशय कहा करते हैं कि नाटक और उपन्यासोंके पढ़नेमें बड़ी हानि है. परन्तु आजतक प्रायः सभी युवकयुवती गण नाटक उपन्यासोंके पढ़ने में अतिशय लवलीन देखनेमें आते हैं. इसप्रकार उपन्यास प्रियतासे कोई विशेष हानि आजपर्यन्त देखनेमें नहीं आई. बलके उत्तमोत्तम नाटक उपन्यासोंके

पढ़नेसे नवयुवक बाबुओंका स्वदेशानुराग बढ़ता जाता है, और बहुतसे सक्का-भ्योंमें प्रवृत्ति होने लगी. देशके असदाचार दूरकर सदाचारोंके प्रचार करनेमें साहस होता है. और अपनी स्त्रीको हृदयसे प्रिय समझने लगजाते हैं. "पति ही स्त्रीका जीवनसर्वस्व है", यह बात स्त्रियों उपन्यासोंके प्रत्येक पृष्ठसे शीखती हैं. "शतसहस्र प्रलोभन होने पर भी पातिव्रत्यधर्मकी रक्षा करनी चाहिये." ऐसी शिक्षा प्रत्येक नाटक व प्रत्येक उपन्यास स्पष्टतया देता है. "दृष्ट पाखंडी अन्याइयों के भाषीन होनेपर किस चतुराई और छलकपटसे सतीस्वरक्षा करना चाहिये" यह बात भी सिवाय नाटक उपन्यासोंके किसी प्रकार भी हृदयंगम नहि हो सकती. किस किस गुणसे पतिकी प्यारी हो सकती है सो उपन्यासोंकेद्वारा ही स्त्रियें जान सकती हैं. क्योंकि जितने उपन्यास बनाये जाते हैं, वे समाजके आचार व्यवहार और मनुष्योंके चरित्रका अवलम्बन करके ही बनायेजाने हैं. इसकारण "नाटक उपन्यासोंके पढ़नेसे यथेष्ट लाभ होता है" यह बात अवश्य ही स्वीकार करनी पड़ेगी. किन्तु उपन्यासमें किसी प्रेमी व प्रेमिकका—व किसी स्वदेशानुरागी साहसी पुरुषका चरित्र रहता है. वह उपन्यास अधिक मनोरञ्जक होता है. ऐसे उत्तमोत्तम नाटक उपन्यास बंगभाषा—व महाराष्ट्रीय तथा गुज्जर भाषामें तो बहुतसे देखनेमें आते हैं, परन्तु खेद है कि—हिन्दीभाषामें इसप्रकारके नाटक उपन्यासोंका तो प्रायः अभावसा ही प्रतीत होता है. किन्तु ऐसे उपन्यासोंकी अप्राप्ति है, ऐसा समझकर चुप नहि रहना चाहिये. बलके ऐसा चरित्र अपने आप आदर्शरूप करके अपने गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिये. उपन्यासमें लिखोहुई प्रणयिनीकी सदृश अपनेको सदृधर्मिणी नहि समझो तो क्षोभ नहि करना चाहिये, किन्तु धीरे २ उसीप्रकार बननेका यत्न करना चाहिये. बहुतसे नाटक उपन्यासोंमें प्रेमका विशेषतया वर्णन हुवा करता है, सो पतिके विदेश होनेपर अथवा पत्नीके निकट न होनेपर ऐसे नाटक उपन्यासोंको नहि पढ़ना चाहिये. पतिपत्नी दोनोंके एकत्र होनेसे ऐसे नाटक उपन्यासोंके पढ़नेमें किसी प्रकारकी भी हानि नहीं है. जिसप्रकार नाटक, रास, तमासे, देखते हैं. उसी प्रकार नाटक उपन्यासोंका भी पढ़ना है.

स्त्रियें जिससे हाथकी चिठी पत्री अपनी मातृभाषा हिन्दीमें भलेप्रकार लिख पढ़ सकें, इतनी शिक्षा तो अवश्य ही होनी चाहिये. क्योंकि कहींका पत्र आता है तो दश बारह वर्षके लड़कों तककी सुशामदी करनी पड़ती है. बहुतसे महाशय स्त्रियोंको उर्दू तथा अंग्रेजी विद्या पढ़ाना चाहते हैं. सो उनकी बड़ी भारी भूल है. स्त्रियोंको ये विदेशी भाषायें कदापि नहि पढ़ानी चाहिये. क्योंकि इन भाषाओंके नाटक उपन्यासादि प्रायः असदाचारकी शिक्षा देनेवाले ही हुवा करते

हैं। बल्कि पुरुषोंकी भी इन भाषाओंके नाटक उपन्यास नहीं पढ़ने चाहिये। हाँ उत्तमोत्तम नाटक उपन्यास पढ़ने हों तो बंगभाषा वा मराठी गुजराती भाषा पढ़िये अथवा अपनी प्राणप्रियाको भी पढ़ाइये, इसमें कोई विशेष हानि नहीं है किन्तु लाभ ही है।

स्त्रियोंको लिखने पढ़नेके सिवाय कुछ २ गणित भी अवश्य पढ़ना चाहिये। क्योंकि घरके खर्चका हिसाब स्त्रियोंके हाथ रखनेसे व्यर्थव्यय होने नहिं पाता, व गणित पढ़ीहुई स्त्रियोंसे रुपया दो रुपया कोई ठगकर भी नहिं ले जा सक्ता।

इसके सिवाय स्त्रियोंको गर्भवती स्त्री रोगादिकसे रक्षा करना, बालकोंका किसप्रकार पालन पोषण करना इत्यादि गृहचिकित्सा व धर्माचरणका ज्ञान भी अवश्य होना चाहिये।

प्रतिदिन जिससे लिखने पढ़नेका प्रवृत्ति चलती रहै, हम विषयमें भी पतिपत्नी दोनोंको ही दृष्टि रखनी चाहिये। प्रतिदिन थोड़ा २ पढ़नेसे बहुत कुछ ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है। सो पतिपत्नीको एक ही जगह बैठकर उपन्यासादि पढ़ने चाहिये, जिससे ज़ीकी शिक्षा होनेमें पूरी सहायता होती रहै। बल्कि नाटक उपन्यास आंके द्वारा ही पढ़ाने चाहिये। जिससे दोनोंको ही भामोदके साथ उत्तमोत्तम शिक्षाओंका लाभ हो। जो अंश कुछ कठिन हो, वह ज़ीको अच्छीतरहें समझा देना चाहिये।

स्त्रियोंको चाहिये कि लिखने पढ़नेकेलिये सांसारिक कार्योंमें म्यूनता न करे किन्तु गृहकार्योंसे अवसर मिलनेपर पढ़ना चाहिये।

स्वाधीनता.

(३)

स्वेच्छानुसार हरएक कार्य करनेकी शक्तिको ही स्वाधीनता कहते हैं। यदि तुम इच्छापूर्वक दास अथवा दासी भी होओ तो तुमारी स्वाधीनता हरी गई समझना चाहिये। और जो कोई तुमको जबरदस्ती राजत्व भी करावे तो भी तुमारी स्वाधीनता नष्ट हो गई। स्वेच्छाधीन दास और दासी व राजा और रानी बराबर हैं। अर्थात् पराधीनता होनेपर राजा और रानी भी मोल लिये हुये नोकरकी समान हैं। स्वाधीनतासे ही जीवोंको सम्पूर्ण सुख होता है। अनेक महाशय समझते हैं कि—“विवाह करनेसे स्वाधीनता नष्ट हो जाती है” सो यह भ्रम है। क्योंकि पति और स्त्री दोनों ही अपनी इच्छापूर्वक विवाह करते हैं। सो जिस कामको इच्छापूर्वक स्वीकार किया जाय, उससे स्वाधीनता किसप्रकार नष्ट हो सकती है ! कि-

नु पति यदि जबरदस्तीसे स्त्रीको दयानन्दीय मत ग्रहण करावे अथवा निराकार ब्रह्मकी उपासना करावे, स्त्री यदि अमीरकी पुत्री होनेके कारण पतिको हमेशाहके लिये अपने पिताके घर ही रखना चाहे तो बेशक स्वाधीनता नष्ट हो सकती है।

यह सब कोई जानते हैं कि—समस्तसुखोंकी जड़ स्वाधीनता है। सो जिसप्रकार स्वाधीनता नष्ट न हो, इस विषयमें पति पत्नी दोनोंको ही दृष्टि रखनी चाहिये। हमारे देशमें पुरुषोंकी स्वाधीनताका घाटा नहीं है। केवलमात्र वृद्ध अवस्थामें ही विघ्न पड़ता है। उससमय वे अनिश्चय पराधीन हो जाते हैं। वृद्धा स्त्रियोंको प्रायः स्वाधीनता होती है। परन्तु “युवती स्त्रियोंको तो कुछ भी स्वाधीनता नहीं है” ऐसा कहें तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं। क्योंकि युवा स्त्रियें न तो अपनी इच्छानुसार लिख पढ़ सकती हैं और न अपनी इच्छानुसार धर्मकार्य व स्वामीसेवा ही कर सकती हैं। बलके खानेपानमें भी असमर्थ रहती है। कहीं पर तो पति, कहीं पर सामु शसुरे, कहीं पर पड़ोसी प्रायः सभी जने युवति स्त्रियोंको अपनी आज्ञानुसार चलते रहते हैं। बालक पनसे ही पराधीन होनेसे उनके मनमें कभी उत्साह उत्पन्न नहीं होता और कार्यकरनेकी सामर्थ्य भी प्राप्त नहीं होती। तथा कर्तव्याकर्तव्य निश्चयकरनेकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है।

आजकल विद्याकी उन्नतिहोनेसे विवादित युवक बाब्रुगण अपनी २ स्त्रियोंको स्वाधीनताके साथ पढ़ना लिखना व धर्मध्यानकरने आदि कार्योंमें उत्साह देने लगे। किन्तु इसके साथ ही साथ बड़ी भारी हानि यह होने लगी कि—पतिके उत्साह देनेसे बहुतसी स्त्रियें एकदम शिर पर चढ़ जाती हैं। जो करना विचारती हैं, वह अवश्य ही करती हैं। जो वह समझलेना हैं, उसमें फिर किसांका भी उपदेश नहीं सुनतीं। बलके अन्तमें अपने प्रियतम पतिकी आज्ञा भी नहीं मानतीं। इसकारण इतनी नयी उमरमें इसप्रकार स्वाधीनता देना अनिश्चय हानि कारक है। इसप्रकारकी स्वाधीनताको स्वाधीनता नहीं कही जा सकती। दिताहित ज्ञानशून्य अल्पबुद्धि स्त्रियोंसे ही ऐसा अपराध बनता है। क्योंकि स्वाधीनताके साथ चलनेकेलिये आनिश्चय बुद्धिविवेककी आवश्यकता है। विना बुद्धिके किसीपर हुकम चलायाना हास्यास्पद है। युवतागण! तुम यदि गुरुजनोंकी आज्ञा पालन नहीं करोगी और अपने अधितजनोंके सुखदुःखकी तरफ ध्यान नहीं रखोगी तो तुम्हारे पर दुःखका समय आवेगा, उस समय तुम्हारे दुःखमें कोन दुःखी होगा! और भी विचार करो कि—यौवनावस्थामें सामारिक समस्त कार्य गुरुजनों (सासश-सुरादिकों) से ही सीख सकी हो। पतिके पास कुछ भी नहीं सीख सकती। तब गुरुजनोंकी आज्ञा न माननेसे गृहस्थपनेमें किस प्रकार काम चल सकता है! जिस

स्वाधीनतासे सुख नष्ट हो जाय, दुःख होनेकी संभावना हो, ऐसी स्वाधीनताको स्वाधीनता किसप्रकार कह सके हैं ? क्योंकि सुखकेलिये और उन्नतिकेलिये ही स्वाधीनताकी आवश्यकता है. इसकारण गुरुजनोंके व पत्नीसियोंके मनोऽनुकूल चलकर ही अपने कार्यसाधन करने चाहिये. इसमें स्वाधीनता नष्ट नहीं होती क्योंकि इसप्रकार परके मनोऽनुकूल चलना तुम अपनी इच्छासे करती हो इसकारण तुम स्वाधीन ही हो.

हमने ऊपर जो कुछ लिखा उससे बहुतसी स्त्रियें सायद अच्छी तरहसे नहीं समझी होंगी. क्योंकि हम स्वाधीनतासे चलनेकी भी सम्मति देते हैं और गुरुजनोंकी आज्ञानुसार चलनेकी भी प्रार्थना करते हैं. सो यह दोनों बात कैसे बन सक्ती है? इसकारण एक दृष्टान्त देकर समझाया जाता है.

कल्पना करो कि-तुम्हारा पति तो तुमको लिखने पढ़नेकेलिये आग्रह करता है. और तुम्हारा मन भी पढ़नेको चाहता है. और सास सशरका हममें मत नहीं है, तो ऐसी अवस्थामें पहिले गुरुजनोंकी सेवा श्रुषा करके गुरुजनोंकी प्यारी बनना चाहिये. तत्पश्चात् पढ़ने लिखनेका प्रारंभ करना चाहिये. क्योंकि गुरुजन जब तुम्हारे गुणोंसे प्रसन्न होजायेंगे तो तुम्हारे लिखने पढ़नेमें कदापि बाधा नहीं डालेंगे. पढ़ना लिखना प्रारंभ करके इसप्रकारसे सावधान रहना चाहिये कि-लिखने पढ़नेके कारण गुरुजनोंकी सेवा श्रुषा करनेमें न्यूनता व उनकी आज्ञाका उल्लंघन न हो. इस प्रकार चलनेसे स्वाधीनतामें कदापि बाधा नहीं पड़ सक्ती. और गुरुजन भी असन्तुष्ट नहीं होंगे.

इस विषयमें पुरुषोंको भी सावधान रहना चाहिये कि-जिस प्रकार माता-पितादि गुरुजन असन्तुष्ट न हो, ऐसा उपाय अवलम्बन करना उचित है. अब पुरुषोंकी स्वाधीनताकी तो हद्द ही नहीं है. जो इच्छा हो सो कर सक्ते हैं. भय रहित हो मद्यपानादिकमें लवलीन हो जाते हैं. व्यभिचार-सेवनसे आत्माको कलंकित करते हैं. आयकी अपेक्षा अधिक व्यय करके अनेकप्रकारके आमोदप्रमोद में उन्मत्त हो जाते हैं. अपनी स्त्रीकी तरफ दृष्टि भी नहीं करते. पुरुषोंका इसप्रकार आचरण होना स्वाधीनता नहीं है. किन्तु स्वेच्छाचार है. पुरुषोंको ऐसा स्वेच्छाचार बिलकुल छोड़ देना ही कल्याणकारी है. पतिका इसप्रकार स्वेच्छाचार स्वाधीनताके साथ दमन करना प्रत्येक स्त्रीका कार्य है. पतिका भय करना अथवा पति पूज्य देवता है, ऐसा समझकर संकुचित होना किसी प्रकार भी उचित नहीं समझा जाता. हानिकारक कार्योंका निषेध करना, व लाभदायक कार्योंका अनुष्ठान करना ही स्वाधीनताका प्रधान उद्देश्य है.

पतिको सम्मार्गमें रखने, भाङ्गा उलंघन करनेकी दासदासीकी भावत को दमन करना, पुरुषोंकी बदमासी छुटानेकेलिये तिरस्कार करने, तथा अपने कुटुम्बका जिसमें हित हो, ऐसे सत्कार्योंके करनेमें निःसन्देह स्वाधीन रहना चाहिये.

गृहिणीगण! इन कारणोंसे ही तुमको स्वाधीनताकी आवश्यकता है. इसप्रकार करनेमें बुद्धिविवेककी शक्ति होनेहीसे तुम्हारी स्वार्थीनता सार्थक है. अन्यथा कदापि लाभदायक नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिये कि—तुम भी पुरुषोंकी तरह स्वेच्छाचारी हो जाओ. विनयके साथ कहनेसे अथवा मान करने व रोनेसे काम निकल जाय और पति सम्मार्गमें आजाय तो तिरस्कारादि दण्डविधि कदापि काममें नहिं लाना चाहिये. अब दृष्टान्त देकर कर्त्तव्य समझाया जाय, स्वाधीनतासे चलनेमें अनेक जगह अपनी बुद्धिसे हिताहितका पूर्ण विचार करके चलना चाहिये. ऐसा नहिं करोगी तो अनेक हानियें उठाओगी. यदि स्वयं समझकर विचारपूर्वक चलनेमें असमर्थ हो तो हमेशह अपने पति व मास शशुरादि गुरुजनोकी आज्ञानुसार चलना ही कल्याणकारी है.

अनेक मटाशय अपनी स्त्रियोंको मोल ली हुई दासीकी सदृश समझते हैं. श्री किसी विषयमें कर्त्तव्य करना चाहती है अथवा पतिकी किसी भङ्गपर कुछ क्रोध प्रकाश करती है तो पतिको यह बात अमह्य होजाती है. “श्री पुरुषकी सम्पूर्णतया अधीन है. पति जो कुछ करे उसके दोष गुण विचार करनेकेलिये स्त्रीको कुछ भी अधिकार नहीं है. पतिकी अन्याय कार्यय देखकर स्त्रीका क्रोध करना पति आज्ञाका भंग करनेके मित्राय और कुछ नहीं है.” इसप्रकार समझते हुये अनेक मटाशय अपनी स्त्रियोंपर अत्यन्त असन्तुष्ट रहते हैं और अन्यायाचरण करते हैं. पुरुषोंका इसप्रकार व्यवहार करना सर्वतया न्याय विरुद्ध है. और श्री स्वाधीनताका नष्ट करनेवाला है. भलाई समझकर श्री जो कुछ कहे वा जिसकेलिये तिरस्कार करे तो क्रोध न करके सुन लेना ही उचित है. उसको धमकी देकर चुप करना स्वेच्छाचारी अन्यायी पतिकी कार्यय है. श्रीकी परामर्श ग्रहण करने अथवा उमका योग्य तिरस्कार सहा करलेनेसे स्वाधीनतामें कदापि हानि नहिं आती. यह बात स्मरण रखना समस्त पुरुषोंका परम कर्त्तव्य है. और पति यदि किसी अपराधके कारण तिरस्कार करे तो स्त्रीको सहा कर लेना चाहिये. इसप्रकार सहा करलेनेमें स्वाधीनता नष्ट नहिं होती. दोनों ही अपनेको स्वाधीन समझ कर एक दूसरेकी बात नहिं सुनोगे तो फिर घरमें शान्ति नहिं रह सक्ती बल्के अहोरात्र कलहके साथ दिन काटने पडैगे. “अपनी इच्छासे आधीनता ग्रहण करनेमें स्वाधीनताकी हानि नहिं होती” यह बात याद रखकर परस्पर संमति लेनेमें वा तिरस्कार सहलेनेमें किसीका भी अपमान नहिं होता.

स्वाधीनता प्राप्त होकर अनेक गृहिणीगण अतिशय बढ जाती हैं, जो काम पतिके करने योग्य होता है अथवा जिस कामके करनेमें पति समर्थ हो, उस कामको करनेकेलिये अपने आप दौड़ती हैं, सो इसप्रकार करना उचित नहीं, इससे पतिका मन विरक्त हो सक्ता है, इसकारण जिसका जो कार्य है, उसीको वह कार्य करना चाहिये.

अनेक स्त्रिये पतिको प्रसन्न रखनेकेलिये जिस धर्ममें अपना श्रद्धान (विश्वास) नहीं, उस धर्मको ग्रहण करलेती हैं. अर्थात् अपने सनातन धर्मको व धर्माचरणको त्याग कर दयानन्दी आदि आधुनिक मतोंको ग्रहण करलेती हैं. सो ऐसा कदापि नहि करना चाहिये. धर्मके विषयमें स्वाधीनताके साथ परीक्षापूर्वक जिसपर अपना दृढश्रद्धान हो, वही धर्म ग्रहण करना चाहिये. दूसरोंकी देखादेखी व कहनेसे धर्माचरणका करना उचित नहि समझा जाता.

धन.

(४)

धनकी महिमा वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि-आबालवृद्ध भलेप्रकार जानते हैं कि पैसके बिना कोई भी सांसारिक कार्य नहि चल सक्ता. परन्तु खेदका स्थान यह है कि-धनकी इतनी उपकारिता जानेपर भी इसका संचय करना व व्यय करना नहि सीखते. क्योंकि-व्ययके दोषसे अनेक गृहस्थ-गण दरिद्री हो गये और संचयगुणके प्रभावसे अत्यन्त अल्प आयवाले भी धनाढ्य हो जाते हैं.

सबको ही अपनी २ अवस्थाके अनुसार व्यय (खर्च) करना चाहिये. अनेक महाशयोंको दूसरोंकी देखादेखी व्यय करनेका रोग हो गया है, सो यह अत्यन्त हानिकारक है. कोई २ महाशय तो ऋण (कर्ज) लेकर ही दूसरोंकी देखादेखी व्यय करनेमें अग्रसर हो जाते हैं. सो इसप्रकारके गृहस्थको कदापि सुख नहि हो सक्ता. क्योंकि जिस समय विवाहसादी वगेरहमें व्यय करते हैं, उससमय तो सबजने प्रशंसा करते हैं परन्तु दरिद्र हो जानेपर कोई बात भी नहि पछता कि अमुक महाशय कहां रहते हैं और उनकी क्या अवस्था है ? "दो पैसे सञ्चय करनेसे चिरकाल सुखसे व्यतीत होता है और सब जने निरन्तर आदर स्तकार करते रहते हैं," यह वाक्य सदैव स्मरण रखना चाहिये.

अनेक महाशयोंमें यह दोष है कि-व्यय करने समय क्वीकी कुछ भी सम्मति नहि लेते. अपनी इच्छा व दूसरोंकी उत्तेजनासे खर्च करते रहते हैं. यदि तुम

हिंसाबी हो तब तो विशेष हानि नहीं; परन्तु बेहिसाबी होनेपर स्त्रीकी सम्मति पूर्वक ही चलना चाहिये. बल्के ऐसा अवस्थामें व्ययका भार स्त्रीके हाथमें ही रखना उचित है. क्योंकि स्त्रियोंके हाथसे सबका सब व्यय हो जानेकी संभावना नहीं है.

अनेक गृहस्थोंकी स्त्रियें भी बेहिसाबी हुवा करती हैं. जो वस्तु उत्तम देखती हैं, वही खरीदना चाहती हैं. दूसरोंके कहे अनुसार ही खर्च करनेमें अच्छा समझती हैं. सो इसप्रकारके गृहस्थको धनसंचय होना कठिन है क्योंकि यथेष्ट आय होनेपर भी विचारपूर्वक खर्च करनेपर दरिद्रतासे बचना असंभव है. स्त्री ही घरकी लक्ष्मी व रानी है. स्त्रीका व्यर्थव्यय करनेवाली होना कदापि उचित नहीं है.

अनेक महाशयोंका ऐसा मत है कि स्त्रीके हाथमें पैसा देना किसीप्रकार भी उचित नहीं. क्योंकि स्त्रियें पैसा रखना नहीं जानती. व्यर्थ व्यय कर डालती हैं अथवा जिसतिसको विश्वास करके वियाजके लोभसे रुपये कर्ज देती हैं. सो व्याज तो दूर ही रहे असलके अर्द्ध होनेमें भी कठिनता हो जाती है. सो स्त्रियोंकी यह निंदा सर्वथा मिथ्या नहीं है. अनेक स्त्रियोंमें यह दोष पाया जाता है. उनको चाहिये कि खर्च करनेसे पहिले पति अथवा गुरुजनोंकी परामर्श लेकर काम किया करें. और पुरुषोंको बिना पूछे किसीको भी कर्ज देना नहीं चाहिये. स्त्रियें पैसा रखना नहीं जानती, ऐसा समझकर उनके हाथ पैसा नहीं देना उचित नहीं समझा जाता. थोड़ा ही देवो तो कुछ हानि नहीं परन्तु कुछ २ पैसा अवश्य देना चाहिये. यदि नहीं दोगे तो पैसेका मोह किसप्रकार उत्पन्न हो सक्ता है? और किसप्रकार पैसा इकट्ठा करना चाहिये, यह भी किसप्रकार सीखेंगी? स्त्रीको अधिक पैसा देनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु उसका निजका खर्च हुये बाद कुछ २ संचय होता रहे, इनका पैसा तो अवश्य ही देना चाहिये.

पति यदि अनिव्ययी (व्यर्थ व खोटे मार्गमें खर्चकरनेवाला) होय तो स्त्रीका कर्तव्य है कि सुयोग मिलते ही पतिके पासमें पैसा लेकर यत्नके साथ संचय करती रहें. और इतनी सावधानीसे संचय करना चाहिये कि जो पतिको उसका बिन्दु-विसर्ग मात्र भी खबर न हो. यदि पतिको मालूम हो जायगा तो वह पैसा कदापि नहीं रहेगा.

कहीं २ ऐसा भी होता है कि—पति यदि धनोपार्जन करनेमें असमर्थ हो जाता है अथवा घोर विपदमें आ पड़ता है तो स्त्रियें अपने पासके पैसेको कदापि खर्च करना नहीं चाहती. पतिके कष्ट की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देती.

ऐसा कदापि नहि करना चाहिये. यह कार्य निहंया जियोंका है. वृद्धा जियोंमें इसप्रकारकी बहुतसी जियें देखी जाती हैं.

जियोंको गहना बनादेनेमें कोई २ पतिगण उजर किया करते हैं. परन्तु अपनी २ अवस्थाके अनुसार तो अवश्य ही बनाना चाहिये. धनसंचय करनेका यह भी एक उत्तम उपाय है. परन्तु अनेक प्रकारके कई १ गहने बनाकर रुपयेको भटकाना भी उचित नहि दीखता. इसकारण जहांतक वने नकद रुपया व्यापारमें लगाकर वृद्धि करना चाहिये.

आजकल पोशाकिसोमें सेम्बिहिस बेहू होनेसे धनसंचय करनेका अच्छ सुभीता हो गया है. इसमें चार आने भी जमा करा सके हो. जिनके अत्यन्त कम भा-मदनी है, वे भी कुछ २ पैसा इस व्यांकमें जमा कर सके हैं. जियोंको चाहिये कि-पतिसे आग्रह करके कुछ २ पैसे इस व्यांकमें जमा कराती रहें. 'बोड़े पैसेका जमा क्या करना' ऐसा समझकर निषेध नहि करना. क्योंकि प्रतिमास कमसे कम १) रुपया जमा करनेसे दश वर्षमें प्रायः १२०) रुपये एकत्र हो जाते हैं. थोड़ा समझ कर जमा नहि करावोगे तो दश वर्षके बाद तुम्हारे पास एक फुटीं कोडी भी कदाचित नहि निकलेगी.

धनसंचयकरनेके लोभमें पड़कर एक दम कृपण भी नहि हो जाना चाहिये. आवश्यकिय कार्योंमें व्ययोंको नहि करना अत्यन्त अन्याय है. परिवारमेंसे किसी. को कोई रोग हो जाय तो धन खर्चकर चिकित्सा करानेमें त्रुटि करना, अथवा दरिद्रदुःखियोंकी सहायता करनेमें त्रुटि करना व हाथ खींचलेना सिवाय कृपणताके और कुछ भी नहीं है. यदि धनसे किसीका भी उपकार-साधन नहि हुवा तो उस धनसंग्रहसे लाभ ही क्या !

कोई २ महाशय अपनेको भी वंचित करके तथा किसीका भी उपकार न करके केवलमात्र सन्तानके अर्थ ही धनसंचय करनेमें लगे रहते हैं. सो सन्तानके लिये कुछ २ धन संचय करना बुरा नहीं है. परन्तु अपने आप खाने पीने आदि में कष्ट सहनकर संचय करना कदापि उचित नहि समझा जाता.

आमोदप्रमोद.

(५)

सांसारिक कार्य सम्पादन करनेमें सभीको अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता है. बहुतसे मनुष्योंको तो प्रातःकालसे लगाकर रात्रिको १०-१२ बजेतक विश्राम नहि मिलता. इसके अतिरिक्त सांसारिक दुःखशोक विपदाओंका भी अभाव नहीं

है, सो जिसप्रकार जीना भी कष्टकर न हो जाय और दुःखमयी संसारमें किञ्चिन्मात्र भी सुखी हो सकै, इसविषयमें स्त्री पुरुष दोनोंको ही उपाय करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है, सो आमोदप्रमोद व रसिकता इस संसारमें सुखी होनेका एक प्रधान उपाय समझा जाता है, आमोदप्रमोद जीवनको नूतनत्व उत्पन्न कर देता है, आमोदप्रमोदके जितने अधिक उपाय करते रहते हैं, वे ही उतने अधिक सुखसे कालव्यतीत करते रहेंगे, आजकल हमारे देशकी स्त्रिये स्वार्थानतासे अपने पतिके साथ किसीप्रकारका भी आमोदप्रमोद व रसिकता करने नहीं पातीं, जिसका फल यहाँ देखनेमें आता है कि—हमारे अनेक नवयुवक बाबुगण अपने घरपर सुखकी आशासे निराश हो वेश्यादिकोंके घर जाकर अपना शौख पुरा करते हैं, और मनचाहे गीत नृत्यादि व हास्य परिहास्य करके सुखी होनेको ऐसी जगह लञ्चार होते हैं, इसकारण प्रेमपूर्वक वार्तालापसे अथवा गीतनृत्यादिसे पतिको रञ्जयमान करना प्रत्येक स्त्रीका कर्तव्य है, किसी २ महाशयका ऐसा भी स्वभाव हुवा करता है कि—गृहस्थाचार सम्बन्धी वार्तालाप व धर्म और नीति सम्बन्धी वार्तालापोंके सिवाय स्त्रीके साथ मनोहर वार्तालाप व रसिकता कभी भी नहीं किया करते, इसप्रकारके पनि अतिशय सच्चरित्र होने पर भी स्त्रीके मनोऽनुकूल नहीं हो सक्ते,

सदैव प्रसन्नचित्त रहना स्त्रीपुरुष दोनोंका ही परम कर्तव्य है, दुःख और विपदका समय स्मरणकर निरन्तर चिन्तामें ही विलाना उचित नहीं, दुःख और विपदको तो भूलजाना ही उचित है, देखो हमारे पूर्वजोंने मरेहुयेके द्वादशदिन पश्चात् मित्रोंको सन्मानपूर्वक मिष्टभोजन कराना व आहारदानादिक देना उन मृत आत्मीय जनोंके वियोग होनेका शोक मिटानेकेलिये ही चलाया था परन्तु वर्तमान समयमें वहु कार्य पंचायती दण्ड समझकर ऋण लेकरके भी किया जाता है, सो यह आमोद प्रमोद अतिशय अनुचित है, जब आमोद प्रमोद करना सुख होनेका कारण है, तो पतिसे एकान्त समागम होने ही सहास्यवदन हो नाना प्रकारकी बातें व हास्य परिहास्य करना स्त्रियोंका परमकर्तव्य है, स्वर्द्धाका हास्यमुख देखनेसे मनुष्यके हृदयसे अनेक दुःख व शरीरकी थकावट दूर हो जाती है, जो स्त्रियें सर्वथा भरसिका हो, उनको नाटक उपन्यासादिक पढ़कर रसिकता सीखना चाहिये, किसी २ स्त्रीका ऐसा स्वभाव है कि वे पतिके साथ गृहसम्बन्धी वार्तालाप करनेके सिवाय कुछ नहीं जानतीं, बलके समय भ्रमण भी नहीं देखती, आफिससे नोकरी करके या दुकानसे परिभ्रम करके अथवा और कोई सांसारिक कार्योंकेलिये परिभ्रम करके आये हो, उस समय लड़ाई

झगड़ेकी बात कहना वा किसी वस्तुका अत्यन्त अभाव होनेके कारण ला देनेको कहना इत्यादि गृहस्थाचारकी बातें कहनेसे कोई भी पति सुखी नहि हो सक्ता. हे गृहिणीगण ! संक्षेपतया तुमको यही उपदेश दिया जाता है कि—तुम किसी प्रकारकी भी दुःखमय वार्ता पतिके पास मत कहा करो। जिस बातके विना कहे चलता नहीं, वह भी ऐसे समय हँसी २ के साथ कहना चाहिये कि—जिस समय पति अत्यन्त प्रसन्न हो, परिश्रम करके थके थकाये आये हों अथवा भोजन करते हों, उस समय कोई भी कष्टदायक वार्ता पतिको नहि कहनी चाहिये.

काँई २ महाशय स्त्रीमें अरासिकता देखकर मन बहलानेकेलिये मित्रोंके साथ तास सतरजादि खेलकर अथवा गाना बजाना व इधरउधरकी गप्पें करके बाहर ही बाहर अपनी इच्छा पूर्ण करते हैं. इस प्रकार करना अतिशय अन्याय है. स्त्रीको रासिका बनालेनेमें काँई अन्याय नहीं है. उसके साथ तास खेल सक्ते हो, सतरंज खेल सक्ते हो, आनन्दमय वार्तालाप कर सक्ते हो, नाटक उपन्यासादि पढ़कर सुखी हो सक्ते हो. इसप्रकार करनेसे उसके आमोदप्रियता उत्पन्न हो सक्ती है. फिर तुमको कदापि मन बहलानेकेलिये घरसे बाहर जाना नहि पड़ेगा.

काँई २ महाशय अपने काय्योंमें व ज्ञानचर्चामें इतने मग्न रहते हैं कि स्त्रीके साथ घंटेभर भी वार्तालाप करना पसन्द नहि करने. इसप्रकारके व्यवहारसे स्त्रिये अतिशय दुःखित होती हैं. इसप्रकार भाँ मुननेमें आया है कि—ऐसा अवस्थामे रासिका स्त्रिये ज्ञानचर्चा व पुस्तक पढ़नेमें विघ्न डाल दिया करती हैं. पतिके हाथमेंसे पुस्तक छीनकर फेंक दिया करती है. पतिगण स्त्रीका स्वभाव नहि समझते, इसकारण ही ऐसा बनता है. स्त्रिये प्रायः आमोदप्रिया व गल्पप्रिया हुवा करती हैं, इसबात को स्मरण रखकर पतिगणोंको समझके चलना चाहिये. परन्तु स्त्रीको भी कुछ धैर्य होना चाहिये. आमोदप्रमोद अच्छा लगता है, ऐसा समझकर निरन्तर इसीमें मग्न नहि रहना चाहिये. पुस्तकें पढ़नेसे पतिकी उत्पत्ति होती है, तो इसप्रकारके वार्तालाप व पुस्तकपाठमें कदापि विघ्न नहि डालना चाहिये. भोजनके पश्चात् व सोते समय आमोदप्रमोद, करने, खेलने, गप्पें करने आदिका नियमित काल रहनेसे किसीको भी कोई हानि नहि हो सक्ती.

भारवाड़ देशमें प्रायः कई स्त्रियें इकट्ठी होकर रात्रिके समय पतिको रञ्जयमान करनेवाले गीत गायी करती हैं. सो यह पुरानी चाल बहुत अच्छी है. परन्तु निर्लज्ज होकर बाजारोंमें अश्लील गालिये गाना, व गुरुजनोके रहते हुये बहुत ही अप्रकाश्य गीत गाने, सर्वथा अनुचित है.

शृङ्गारकरना.

(६)

पतिपत्नी दोनोंको ही शृङ्गारकी तरफ दृष्टि रखना चाहिये. दोनोंके ही वस्त्र परिस्कार धुलेहुये व केश सुसज्जिन होने चाहिये. रूप न होय तो भी वस्त्रोंकी पह-रावटसे शोभा हो जाती है. आजकलके युवक युवतीगणोंकी पोशाक विशेषतया मंद नहीं है. परन्तु पुरुषोंको कोट, बूट, पतलूनादि धारण करके अंगरेजोंकी चाल चलना व स्त्रियोंको अतिशय महीन वस्त्रधारणकर वेदयाओंकी चाल चलना कदापि उचित नहीं है. अपने देश कुलानुसार हां उत्तम पोषाक रखना चाहिये. अलंकार (गहना) स्त्रियोंकी सुन्दरता बढ़ानेका प्रधान कारण है. इसी कारण स्त्रियें अलङ्कारप्रिया हुवा करती हैं. सो स्त्रियोंको अलङ्कारसे अधिक प्रेम होना कोई हानिकारक नहीं है. क्योंकि पतिको रञ्जायमान करनेकी इच्छासे ही अलङ्कारप्रियता हो गई है. सो जिसप्रकारके वस्त्राभूषणसे पति प्रमत्त होय, उसके करनेमें कोई हानि नहीं. परन्तु किसी २ स्त्रांके इतनी अधिक अलङ्कारप्रियता होती है कि— एक ही प्रकारके दो दो तीन तीन अलंकार धारण करके हस्त्यास्पद हो जाती हैं. किसप्रकार शोभा नष्ट होती है, इसविषयमें अपनी २ बुद्धिसे विचार करना चाहिये. शरीरको परिस्कार रखना, मनोहर निर्मल वस्त्र धारण करना, अलंकारसे शृङ्गार करना आदि स्त्रियोंका कर्तव्य है. केश, तैल फुलेल रहित, सूके, दांत पीले, शरीर मैला दुर्गन्ध मय, कपड़े भी मैले हों तो इसप्रकारकी स्त्रीको पाकर कोई भी पति सुखी नहि हो सक्ता. मनोहर वस्त्रालंकार सहित स्त्री ही घरकी लक्ष्मी है सो स्त्रियोंको ध्यानमें रखना चाहिये.

कोई २ महाशय इतने उदासीन रूप होते हैं कि—शृङ्गार करना, उनको अच्छा नहि लगता. सो यह उचित नहि दीखता. क्योंकि शृङ्गार रहित होना, व निर्मे-कता रहित वस्त्रादिकका होना स्त्रियोंको प्रिय नहि लगता. स्त्रीपुरुष दोनों ही शृङ्गारप्रिय होते हैं परन्तु पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियें अधिक हैं. शृङ्गारप्रियताका स्वभाव किसीप्रकार बुरा नहीं कहा जा सक्ता. इसप्रकार होनेसे ही परस्पर अतिशय प्रीति रहती है और पृथिवीका सौन्दर्य भी बढ़ता है.

सांसारिक कार्य सम्पादन होनेके पश्चात् प्रत्येक स्त्रीको अच्छे कपड़े पहनकर सुसज्जित होना चाहिये. परन्तु इतना अधिक शृङ्गार नहि होना चाहिये जो गुरुजनोंके मनको बुरा लगे. कोई २ महाशय कहते हैं कि— प्रतिदिन शृङ्गारित रहनेसे व पतिको दिखानेसे क्या फल? सो फल यही है कि— पतिको चित्त प्रसन्न रहता है. और उसका दिनोदिन अनुराग बढ़ता है. वेदयादिकोंमें मन

चलायमान नहिं होने पाता। इसप्रकार सामान्य दत्तसे कौन ली है जो अपने पतिको प्रसन्न न रखे ?

तेल फुलेल अत्तर आदिक सुगंधित द्रव्योंका व्यवहार करना भी कृष्णीय नहीं है किन्तु प्रीतिकर ही है। नया रौशनीवाले बानुगण आजकल प्रायः फुलेल, तैल, लवेन्डर, अत्तर, पमेडम, साबन आदिक सुगंधित द्रव्य व्यवहार करने लगे हैं परन्तु विलायती साबन वगेरह चरबीआदि अपवित्र वस्तुओंके संयोगसे बनती हैं। उनको व्यवहारमें लाना अतिशय अन्याय है। अपने देशकी बना हुई पवित्र साबुन बगैरह भी बहुतायतसे मिलते हैं, उनका ही सबको व्यवहार करना चाहिये। इमविषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि— अनेक नवयुवक बानुगण अपनी आमदनी प्रायः शृङ्गार करनेमें ही व्यय करने लग गये। सो ऐसा करना अतिशय अनुचित है। अपनी आय देखकर व्यय करना ही बुद्धिमानोंका काम है।

किसी २ लीको इतनी शृङ्गारप्रियता होनी है कि उसकेलिये पतिको कष्ट सहना पड़ना है। जिस शृङ्गारसे पतिको सुखी करना है, उस शृङ्गारकी वस्तुयें मगानेकेलिये पतिको कष्ट देना किसी भी लीका उचित कार्य नहीं समझा जाता। पतिकी अवस्था व आमदनी देखकर शृङ्गारकी सामित्री मगाकर आवदार बनना बुद्धिमती सुशाला स्त्रियोंका कर्तव्य है।

गृहकार्य.

(७)

स्त्रियोंको समस्त कार्य अपने हाथसे ही करने चाहिये। जिन धनाढ्योंके दासदासी व रसोईदार हैं, उनको भी अपने आप स्वयं उपस्थित रहकर समस्त कार्योंकी देखरेख करनी चाहिये। क्योंकि नोकरोंके भरोसेपर ही छोड़ देनेसे अनेक कार्य अपने मनोऽनुकूल नहिं होते। यदि हो भी जाय तो उसमें बहुत कुछ हानि होती है। दूसरे दासदासी व रसोईदारके हाथसे अनेक पदार्थ विगड़ जाते हैं और चौरीमें भी जाते हैं। सो सब कोई भलेप्रकार जानते हैं। मध्यम अवस्थावाले गृहस्थोंका समस्त कार्य अपने हाथसे ही करने चाहिये। थोड़ी आमदनीमें विचारपूर्वक खर्च न किया जाय तो काम चलना कठिन हो जाता है। क्योंकि आजकल अनेक प्रकारके नये २ खर्च बढ गये हैं। जिससे दो सौ रुपये मासिक आय होनेपर भी कुछ नहिं बचता। इसप्रकारकी आमदनीवालोंके दासदासीका खर्च प्रायः २५) ६० मासिक रहा करता है परन्तु जिनकी आ-

मदनी पचीस रुपयेसे पचास रुपये तककी है उनको ५) ६० मासिकसे अधिक दासदासीका खर्च कदापि नहीं रखना चाहिये.

नयी रोजनीवाले बाबुलोग प्रायः गृहकार्य करनेमें अतिशय उदासीन रहते हैं. अपने हाथसे बाजारमें जाकर शाक सबजी खरीदकर लानेमें भी उनको दिनोंदिन घृणा और आलस्य उत्पन्न होने लगा. इसीकारण उनकी थोड़ीसी आय अनेक प्रकारके व्यर्थव्ययोंमें ही पूरी हो जाती है. अनेक बाबुगण ऋणा भी हो जाते हैं. सो हमारे नवयुवक बाबुगण अवकाशके समय तास, चोसर, सतरज खेलने आदिमें बिताते हैं. किंतु गृहकार्यमें अपना मन सर्वथा नहीं लगाते सो उचित नहीं है. यदि वे कुछ २ सांसारिक कार्य अपने हाथसे सम्पादन कर लिया करें तो पैसे भी बच सके हैं और गृहकार्य भी उत्तम रीतिसे सम्पादन हो सके हैं. हे नवयुवक बाबु महाशयो ! तुमारे पिता पितामहादि गृहकार्य सम्पादन करनेमें लजा न समझ समस्त कार्य अपने हाथसे ही किया करते थे; यही तो कारण है कि वे थोड़ीसी आयमें भी सुखके साथ दिन बिताते थे. अपने घरके कार्य करनेमें लज्जा कैसी ? स्वयं कार्य करनेसे समस्त कार्य भी अच्छे होंगये. व्यर्थव्ययसे भी बचे रहेंगे. और शारीरिक परिश्रम करनेसे शरीर नीरोग व बलिष्ठ रहनेके अतिरिक्त चित्तकी प्रसन्नता भी वृद्धिरूप रहेगी.

आजकल प्रायः युवती स्त्रियोंको भी गृहकार्य करनेमें आलस्य व घृणा उत्पन्न होने लगा. और अमीरोंकी पुत्रियोंका तो पछो ही मल; वे तो यथा समय उठकर भोजनपान करनेमें भी कष्ट समझा करती हैं. बहुतसी अर्द्धवयसी गृहिणीगणोंको भी अपने हाथसे रसोई बनाने, घर नीपने बलके अपनी झूटी थालीतक सांजनेमें भी कष्ट होने लगा. सो हे गृहिणीगणो ! तुमको समर्थ होनेपर भी आस्थिचर्म मात्र है शरीर जिनके ऐसी वृद्धमास व माता आदिके शिरपर समस्त गृहकार्यका भार रख देनेमें लज्जा व दया नहीं आती ! हाय ! कैसे कष्टकी बात है कि जो सास वृद्धावस्थामें तुम्हारी सेवा टहलसे शेषके दिन सुखमें बितानेकी आशा करती थी, उसे आज भलेप्रकार तुम्हारी सेवा टहल नहीं बननेसे तुम रुष्ट हो जाती हो ? और अनेक प्रकारके कुवचन कहकर उनका हृदय जलाती हो ? प्रियबहनों ! इसप्रकार करना तुमको कदापि उचित नहीं है. इसमें तुमको किसीप्रकार भी लाभ नहीं है. गृहकार्यमें तुम असमर्थ हुई जाती हो, आलस्य करनेसे रुम हुई जाती हो सो यह कदापि योग्य नहीं है. क्योंकि प्रथम तो तुम लोग हमेशा घरमें ही रहा करती हो, बाहर जाकर हवा खाने वा सौर करने आदि किसीप्रकार भी शारीरिक श्रम नहीं करने पातीं. फिर गृहकार्यसे

भी विमुख हो जाओगी तो सर्वप्रकारसे रुम हो, फिर किसी कामकी भी नहि रहोगी. तुमारी सन्तान भी रोगी व निर्बल उत्पन्न होयगी. वैद्यकशास्त्रका वाक्य है कि "राजाकी रानी हो अथवा भिखारनी हो परिश्रम नहि करनेसे किसीप्रकार भी नीरोग व सुखी नहि हो सक्ती."

गृहिणी गण ! तूम समस्त गृहकार्य अपने हाथसे ही किया करो. नोकर नोकरानी हों तो बाहरके कितने एक कार्य उनके द्वारा करा सक्ती हो परन्तु रसोई बनाना, घरकी समस्त वस्तुयें यथास्थान सावधानीसे रखना, बालकोंको भोजनादि देना, व उनकी रक्षाका उपाय करना ये सब काम अपने हाथसे ही किया करो. इस प्रकारके कार्य करनेमें क्या कष्ट होता है ? कदापि नहीं. ऐसे सुखका कार्य कोई भी नहीं है जो अपने हाथसे स्वादिष्ट भोजन तय्यार कर पति पुत्र सास शशुर देवर जेठ व अन्यान्य परिवारवर्गको तृप्तिकर सुखकी वृद्धि करता हो ? इससे अधिक और कोई सुख है ? घरकी सामग्री भलेप्रकार यथास्थान रखकर घरकी शोभा बढ़ाना क्या सामान्य सुख है ?

यद्यपि रसोई करना, सन्तानप्रतिपालन करना, गृहिणीका कार्य है, परन्तु उसकी अस्वस्थता होनेपर इन कार्योंके करनेमें लज्जा आदि करना पुरुषोंको भी उचित नहीं समझा जाता. क्योंकि असमर्थ अवस्थामें पतिका कार्य स्त्री व स्त्री का कार्य पतिको अवश्य ही करना चाहिये.

परिवारसे हिलमिलकर रहना.

(८)

समस्त परिवारको मिलकर रहनेमें अनेक सुख है. क्योंकि हम लोगोंमें अनेकोंकी आय बहुत ही कम है. पृथक् २ घर करनेमें उस आयसे काम नहि चल सक्ती. गृहकार्य व सन्तानपालन एक स्त्रीकेद्वारा भलेप्रकार कदापि नही हो सक्ती. इसकारण दासदासी रखनेकी आवश्यकता होती है. सो अल्प आयवाले दासदासी रखनेमें असमर्थ रहते हैं. इसकारण भाई २ मिलकर रहनेसे गृहके समस्त कार्य व बालकोंका पालनपोषण व रोगशोक आपद विपद आदि समस्त विषयोंमें सहायता होनेसे सुखसे दिन कट जाते हैं. सब जने मिलकर रहनेमें कितने ही दोष हों तो भी आजकल की अवस्थामें एकत्र रहनेमें ही अनेक लाभ हैं. अतएव भाई २ जुड़े न होकर एक ही रसोईमें जीमते रहें. इस विषयमें गृहस्त्री व गृहिणी मात्रको उपाय करना चाहिये.

स्त्रियोंका इसप्रकार अपवाद है कि— परिवारभङ्गका मूलकारण स्त्रियें ही हैं। स्त्रियोंकी कुमन्त्रणासे ही भाई भाईमें मनोवाद हो जाता है और अन्तमें जुदा पर करना पड़ता है। यह बात सर्वथा मिथ्या नहीं है। क्योंकि एक भाई दूसरेका आज्ञाकारी होकर रह सकता है। तथा एक भाई दूसरेको सुखी व उन्नत देखकर सुखी हो सकता है। परन्तु देवरानी जिठानीयोंमेंसे एक दूसरीकी आज्ञाकारिणी बनकर रहना कोई भी नहीं चाहती और न एक दूसरीका सुख ही देख सकती है। एक दूसरीकी अधिक शोभासे अतिशय दुःखिता रहती हैं। इसी कारण वे परस्पर एक दूसरीके दोष ढूंढती रहती हैं। और छोटेसे छोटे दोष को बहुत बड़ा करके अपने २ पतिके कानोंमें ढालती रहती हैं। इसप्रकार सदैव करती रहनेसे कभी न कभी अवश्य ही कलह हो जाता है। सो हे गृहिणीगण! तुमको जिसप्रकार बने यत्न करके यह कुअभ्यास छोड़देना ही उचित है। एक भाई जिसप्रकार दूसरे भाईको पर नहीं समझता, उसप्रकार तुमको भी उचित है कि— अपनी देवरानी जिठानीको अपनी माजायी बहनसे भी अधिक समझो, यदि विचार किया जाय तो देवरानी जिठानी सगी बहनसे भी अधिक हैं; क्योंकि—सगी बहनका तो कभी न कभी अवश्य ही वियोग हो जाता है। परन्तु देवरानी जिठानीका वियोग होना कठिन है। इनसे तुमारा उमर भरकेलिये सम्बन्ध हो गया है; लड़ाई करो, चाहे झगड़ा करो, देवरानी जिठानी तो तुमारी एक वंशीया ही रहेंगी और जन्मभर उनके साथ रहे विना कदापि कोई काम नहीं चल सकेगा।

स्त्रीजाति सहिष्णुतागुणके कारण अति प्रसिद्ध है। परन्तु परिवारके दशजनोंकी दश बातें सुनकर सहलेना तथा अपनी हानिकों भी स्वीकार करके सबके साथ एकत्र रह सको तो निःसंदेह तुम सहिष्णुतागुणकी धारण करनेवाली हो। गृहिणीगण ! परिवारके समस्तजनोंकी प्रियपात्री बननेकेलिये हमेशह यत्न करना चाहिये, कोई किसी प्रकारका कटुक वचन कहे तो उसको हृदयमें नहीं रखनाकर भूलजाना ही उचित है। परिवारमेंसे किसीके हाथसे तुमारी कोई वस्तु नष्ट हो जाय तो जिसप्रकार बने क्षमा कर देना चाहिये। उसकेलिये कदापि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिये। परिवारके लोगोंमेंसे किसीकी भी निन्दा नहीं करना। अन्य कोई तुम्हारे पास निन्दा करे तो तुम कदापि मत सुनो, क्योंकि इसप्रकार करनेसे क्षीप्र ही परस्परकी प्रीति नष्ट हो जाती है।

पुरुषोंको भी इस विषयमें सावधान रहना चाहिये। यदि स्त्री, परिवारमेंसे किसीका दोष तुमारे निकट प्रगट करे तो उसका विश्वास कदापि नहीं करना

और न उसमें सहानुभूति ही देना चाहिये. हाँ स्त्रीकी समस्त बातें अवश्य ही सुन-लेना चाहिये परन्तु सुनेबाद यदि स्त्रीकी भूल समझो तो उसको समझा दिया करो. यदि स्त्रीकी बात सच्ची समझो तो स्त्रीको धीरज देना और उसके दुःखमें दुःखित होना चाहिये. वह जिसप्रकार सहन करके रह सके, उसी प्रकार उपदेश देना चाहिये. और जो दुःखकी बात स्त्रीने कही हो, उसको भी दूर करनेका उपाय करना चाहिये. कोई २ पति, स्त्रीकी बात सर्वथा सुनते ही नहीं. परन्तु इसप्रकार करनेमें सिवाय हानिके कोई लाभ नहीं देखता. क्योंकि किसीके निकट मनकी बात नहीं कहनेसे उसको समझाना व उपदेश देना कदापि नहीं बन सक्ता. इसप्रकार होनेसे स्त्री मानसिक दुःखसे दुःखित हो अंतमें किसीका भी उपदेश ग्रहण नहीं करती. इसप्रकार भी देखनेमें आया है कि किसी २ स्त्रीने मानसिक दुःखकी बात पतिके निकट कही और पतिने सुनी अन सुनी करके उल्टा तिरस्कार किया तो वह स्त्री अपने जीवनको भी तुच्छ समझ विषादिकसे आत्मघात कर डालती है. अथवा गृहत्यागकर किसी अन्यके साथ भाग जाती है. इसलिये स्त्रीका दुःख अवश्य सुनना चाहिये.

स्त्रीकी कही हुई बातका यथार्थ जाननेकेलिये किसीसे पूछताछ करो तो ऐसी सावधानीसे किया करो कि—जिससे परिवारके लोगोंको ऐसा भास न हो जाय कि—तुम स्त्रीकी पक्ष कर रहे हो. यदि ऐसा करोगे तो वह दोष तुम कदापि दूर नहीं कर सकोगे. न्यायदर्ष्टसे विचारनेपर यदि स्त्रीका कहना सत्य समझा जाय और मातापितादि गृहजनोंका दोष समझा जाय तो स्त्रीको न होते हुये उस बातकेलिये असन्तोष प्रकाश करना चाहिये और स्त्रीको गुप्तभावसे धैर्य देकर समझाना व उस दोषको भूलजानेका उपदेश देना चाहिये. और स्त्रीको ही यदि उस दोषकी जड़ समझो तो स्त्रीका ही तिरस्कार करना चाहिये. दासदासी व लघु सम्बंधवालोंमेंसे कोई मूल कारण होय तो उसके सत्यासत्यका निर्णय गुप्तभावसे मालूम करना चाहिये. यदि स्त्रीका दोष समझो तो दासदासी के सम्मुख न होनेपर एकान्तमें स्त्रीका तिरस्कार करना चाहिये. यदि दासदासीका ही समझो तो उनको छोड़ देना ही उचित है. और लघुसम्पर्कियजनोंमेंसे किसीका दोष समझो तो उसको वह दोष समझाकर सचेत कर देना चाहिये.

बहुतसी स्त्रियें अपने पतिके सिवाय परिवारके अन्य जनोंके सुखदुःखकी तरफ ध्यान ही नहीं देती. सो इसप्रकार करना अतिशय अज्ञानताका कारण है. इसप्रकार करनेसे सबकी प्यारी कदापि नहीं बन सकती. ऐसी अवस्थामें एकता कदापि नहीं रह सक्ती. गृहजनोंको (सास, शसुर, जेठ, जिठानी आदिको)

कोई भी भारी काम नहि करने देना. उनके खिलने पिलानेमें विशेष दृष्टि रखनी चाहिये.

देवर जेठको अपने भाईसे भी अधिक समझना चाहिये. वस्तुतः (हकीकतमें) देखा जाय तो देवर जेठ तुमारे भाईसे भी अधिक हैं. क्योंकि-भाई तो धरें २ पर हो जातें हैं परन्तु देवर जेठ कदापि पर नहि होते. देवर जेठके बालकोंकी अपने बालकोंकी सदृश ही प्रेम करना चाहिये. दासदासीपर दया व भयना रखना चाहिये. यदि विचार किया जाय तो दासदासीके तुम ही माता पिता हो. क्योंकि अपनी उमरके बहुतसे दिन वे तुमारी सेवामें ही बिताते हैं. सो उनके खानेपीनेमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहि होना चाहिये. उनके दुःखमें दुःखित हो यथाशक्ति सहायता भी करना चाहिये. उनके किसी कार्यमें त्रुटि देखो तो निष्ठुरताके साथ गाली गुप्ता न देकर अपने बालकोंसे जिसप्रकार व्यवहार करती हो, उसी प्रकार करना चाहिये. परिवारके लघुसम्भकीय लोगोंमेंसे किसीका भी अन्यायाचरण देखो तो शासन करनेमें संकोच नहि करना. ' इनसे प्यार ही करना चाहिये,' ऐसा समझकर शासनका अभाव नहि होना चाहिये. उचित (न्याय) मार्गमें रहकर प्रीति व शासन करनेमें परिवारमें अशांति नहि हो सक्ती. ननद भुवासास मौसीसास आदिमेंसे कोई स्त्री हमेशहकेकिये तुमारे ही घर रहकर दिन काटती हो तो परिवारके अन्य जनोंकी अपेक्षा इनकी सेवा व परिचर्या अधिक किया करो. तुमारे अपराधमें इनके मनमें " क्या किया जाय, परके घर रहते हैं " ऐसा बात कदापि नहि आनी चाहिये.

पुरुषोंको भी इस विषयमें सावधान रहना चाहिये. बहुतसे महाशय इन सब आत्मीयजनोंसे विदोष ममता नहि रखते. इनके सुखदुःखों तरफ कूळ भी ध्यान नहि देने. सो ऐसा कदापि नहि होना चाहिये. क्योंकि जब ये लोग तुमारे ही आश्रित होके रहते हैं तो असद्व्यवहारोंसे इनको असन्तुष्टकरनेसे कुटुम्ब-नबरोध हो जानेकी पूर्णतया संभावना है.

देवर जेठमेंसे कोई धनोपार्जन करनेमें असमर्थ होय तो उनका अनानद अथवा उस बातकी चर्चा कदापि नहि करनी चाहिये क्योंकि-इसप्रकार करनेमें उनको व विशेषतया उनकी स्त्रियोंको अतिशय कष्ट होता है. और इसप्रकार करनेसे एकत्रवास (हेलमेल्से रहना) भी नहि हो सक्ता. आहार, वस्त्र, आभूषण सबमें समानता होनी चाहिये. एक परिवारमें किसीको बुरा, किसीको अधिक गहना, किसीको थोडा इसप्रकारके व्यवहार होनेसे घरमें कदापि सुख व

सम्पत्ति (एकता) नहीं हो सकती. इसप्रकार करना अत्यन्त निष्पूरहृदयका काम है. क्योंकि जिस देवराणी जिठानीको अपनी सगी बहनकी समान समझती और प्यार करती हो उसके सन्मुख अपनी शोभा बढ़ानेकी चेष्टा करना क्या अतिशय नीचताका कार्य नहीं है ? सामर्थ्य होय तो सबको ही वस्त्राभूषण एकसा करना चाहिये. अपने आप अकेले पांचसीका गहना न पहन कर पांचजनी सौ सौ रुपयेका गहना पहरोगी तब ही घरकी शोभा व तुमारा सदान्तर समझा जायगा. परन्तु तुम लोगोंमेंसे किसीको पतिके साथ विदेशमें रहना पड़े तो उसको दो चार गहने अधिक होनेमें कोई हानि नहीं है किन्तु घरकी शोभा ही है. भाईयोंमेंसे जो विदेशमें रहे और उसका बड़े लोगोंमें जाना आना रहे तो उसकी अच्छी पोशाक होनेमें जिसप्रकार कोई भाई दुःखित नहीं होता, उसीप्रकार तुम भी परदेशमें रहनेवाली देवराणी वा जिठानीकी अधिक गहनेवाली देखकर दुःखित मत होओ.

सन्तान पालन.

(९)

सन्तान पारिवारिक सुखका प्रधान उपाय और वृद्धा अवस्थामें सुखकी प्राप्ति होनेका एकमात्र कारण समझा जाता है. परन्तु प्रथम स्त्रीके सन्तानोत्पत्ति न होय तो उसकी प्राप्तिकेलिये दूसरा विवाह करना कदापि उचित नहीं. यद्यपि स्त्रीके वन्ध्या होनेपर दूसरा विवाह करनेसे सन्तानोत्पत्ति हो सकती है. परन्तु दो स्त्रियोंको लेकर सांसारिक सुखानुभव करनेमें जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, उनका अपेक्षा निःसन्तान रहनेमें शतांश भी दुःख नहीं है. इसकारण द्वितीय विवाह करनेसे सिवाय हानिके कुछ भी लाभ नहीं है. यदि सन्तानके उत्पन्न न होनेसे अपनेको अत्यन्त दुःखी समझने हो तो दत्तकपुत्र (गोद) ले लेना अच्छा है. जिससे कि सर्वप्रकारसे बचे रहेंगे. परन्तु तुमारे पास धन सम्पत्ति अधिक होनेके कारण उसका अधिकारी मात्र बनानेकेलिये अथवा अपने नाम व वंशपरंपराय रहनेकेलिये दत्तकपुत्र भी लेना उचित नहीं समझा जाता. क्योंकि तुमारे भरे पीछे तुमारा नाम अच्छा चलता है या बुरा ? अथवा तुमारा वंश चलता है कि नहीं ? सो तुम देखनेको नहीं आते. आजकल यही देखनेमें आता है कि जिसको बिना परिश्रमके धनकी प्राप्ति हो जाती है, वे बहुधा व्यभिचारी जुआरी होकर अन्याय मार्गमें सब धन उड़ाकर पिताका तो क्या दादे पड़दादे तकका नाम बदनाम कर देते हैं. ऐसे लड़कोंसे वंशका नाम

किसप्रकार रह सक्ता है ? हमारी समझमें तो यदि भाई भतीजा कोई सदाचारी उत्तराधिकारी हो तो उनको कुमाके खानेलायक धनका पति करके शोषकी सम्पति अपने देश व अपनी जातिके हितसाधनार्थ अपने नामकी संस्कृत पाठशाला, अथवा औषधालय व पुस्तकालय वा छात्रवृत्ति देने आदि चिरस्थायी पुण्य कार्योंमें लगा जावो, जिससे सैंकड़ों वर्षोंतक तुमारा नाम व यश रहै. और महत्पुण्यकी प्राप्तिसे तुमारी आत्माका भी कल्याण व सुगति हो और स्वदेश व स्वजातिका भी उत्तरोत्तर परम कल्याण होता रहै. भला ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे सर्वोत्तम कार्योंमें सम्पति न देकर दूसरेके हवाले करके अपना नाम बदनाम करावै ?

कहीं कहीं ऐसा भी देखनेमें आया है कि, कोई २ बन्ध्या स्त्री व मृतवत्सा स्त्री अपने आप अपग्रह करके पतिका दूसरा विवाह करा देती हैं. इस कार्यके करानेमें स्त्रीका पतिमें पूर्णतया प्रेम प्रगट होता है. परन्तु पति यदि द्वितीय विवाह करले तो उसका स्त्रीमें अतिशय अप्रेमपणा प्रगट हो जाता है.

सन्तान, पिता माताका प्रियतम पात्र है; सो सत्य है किन्तु वह किन २ उपायोंसे बलिष्ठ व निरोगी और सशिक्षित हो सक्ता है. इस विषयमें अनेक स्त्रीपुरुष ध्यान नहिं देते. सो ठाक नहीं है. सन्तानोत्पादन, सन्तानपाठन और सन्तान शिक्षा आदिक विषयके ग्रन्थ (पुस्तक) समस्त मातृपिताओंको विचारपूर्वक पढ़ना चाहिये. यहांपर इसविषयमें कुछ लिखा भी जाता है कि—

मातापिताके शारीरिक व मानसिक गुण बहुधाकर सन्तानमें पाये जाते हैं. इसकारण समस्त स्त्रीपुरुषोंको सुशांति व सदाचारी व निरोगी होनेका उपाय करना अत्यन्त आवश्यकीय कार्य है. कुष्ठ, शूल, यक्ष्मा, आदिक रम अवस्थामें सन्तानोत्पादन करना सम्पूर्णतया अनुचित है. पितामाताकी निरोग अवस्थामें जो सन्तान होता है, उसीका बलिष्ठ व दीर्घजीवी होना संभव है.

सन्तान प्रतिपालनका भार माताके ही हाथमें होना चाहिये गृहकार्योंका भार दासदासी व अन्यके हाथ दिया जा सक्ता है. परन्तु प्राणोंसे भी प्रियसन्तानके प्रतिपालनका काम दासदासीके हाथमें देना अतिशय मूर्खता व निर्दयताका कार्य है. दासदासी आदि परिश्रममें बचनेकेलिये तुमारे बालकोंके मलमूत्रमय कपड़े व सोनेकी गद्दी वगेरह प्रतिदिन आवश्यकतानुसार दो तीन बार नहिं धोवेंगे. उपयुक्त समय दुग्धपानादिक भी नहिं करावेंगे. कोई २ माता ऐसी निर्दया होती है कि बहुत छोटे बच्चेको भी रात्रिभर दासीके पास रख छोड़ती है. उसके रोने व भोजनपानमें कुछ भी दृष्टि नहिं रखती.

आजकल प्रायः सन्तानकी रक्षा करनेके (खिलानेके) लिये दास व दासी रखा करते हैं सो इसप्रकार करना अतिशय अनुचित है. बहुधा देखनेमें आता है कि, दासदासी बालकको लेकर घरके बाहर चली जाती हैं सो बालकको कहीं बालकर या तो किसीसे गप्पें करने लग जाती हैं अथवा सुखसे निद्रा लेती हैं. बालक रोता है तो उसकी तरफ कुछ भी ख्याल नहीं करतीं. मूर्ख माता पिता इस बातकी कुछ भी नहीं जानते. इसकारण गृहस्थके हजार कार्य नष्ट हो जाय तो भी सन्तानकी रक्षा व पालनपोषण करनेका काम माताको अपने ही हाथमें रखना चाहिये. दूसरी हानि यह है कि, बच्चे छोटी उमरसे ही शिक्षाग्रहण करते रहते हैं सो अनपढ़ और असदाचारी दासदासीके उपरि इनकी रक्षाका भार होनेपर बालक उनकेसे छोट २ बचनालाप व असदचरित्र सीख जाते हैं.

सन्तानको सदाचारी व विद्वान् बनाना होय तो पति व पत्नी दोनोंको ही सदाचारी व सुशिक्षित होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है. क्योंकि बालक माता-पिताको जैसा करते देखेंगे वैसा ही करने लग जाते हैं. पांचवर्षकी उमर होनेपर बालकोंको विद्यारम्भ कराना अच्छा है किन्तु वे अतिशय दुर्बल व रोगी होय तो आठदशवर्षसे जिम्मादा वे पढ़े नहीं रहने देना. पढ़ानेकेलिये किसी प्रकारका भय नहीं दिखाना चाहिये अथवा मारना पीटना भी नहीं चाहिये. ऐसा होनेसे बालकोंको लिखने पढ़नेसे अस्वच हो जाती है. तथा हरसमय भयभीत रहनेसे मुझे याद नहीं होगा तो गुरुजी व मातापिता फिर भी कलकी तरह मारेंगे इत्यादि भयसे बालकोंको कदापि अभ्यास नहीं हो सक्ता. क्योंकि जिस हृदयसे शिक्षा ग्रहण की जाती है, वह हृदय तो निरन्तर भयसे परिपूरित रहता है. इसकारण निष्ठुर पाठकके निकट बालकोंको पढ़नेके लिये कदापि नहीं भेजना चाहिये. किन्तु जो पाठक बालकको मांठी २ बातोंसे ललचाकर अपने वशीभूत व आज्ञाकारी बना सके, उसीके पास बालकोंको पढ़ाना चाहिये. यदि निष्ठुर पाठकके पास ही भेजना पड़े तो उसको मारने पीटनेका निषेध करदेना चाहिये. दशबारह वर्षकी उमर पर्यंत तो बालकोंको मातृभाषामें ही नीति शिक्षा व धार्मिकशिक्षा देनी चाहिये. तत्पश्चात् पुत्रोंको अंगरेजी आदिक राजविद्या व व्यापारी विद्या पढ़ाना चाहिये. परन्तु ऐसी कोई भी विद्या नहीं पढ़ाना चाहिये जो कि सिवाय सरकारी नोकरीके व्यापारादिक करनेमें उपयोगी न हो. कन्याओंको गृहस्थाचार गृहचिकित्सा व गणित तथा धर्मशास्त्र व शिल्पकार्यकी शिक्षा देनी चाहिये. कन्याओंके पढ़ानेका भार पुरुषाशिक्षकके हाथमें नहीं देना

चाहिये, यदि स्त्री पाठिका नहीं मिले तो ९ वर्षसे अधिक बयवाली कन्याके पढ़ानेका भार पुरुषशिक्षकके हाथ कदापि नहीं देना चाहिये. ऐसी अवस्थामें भाई भतीजा चाचा (काका) आदिकेद्वारा पढ़ानेकी योग्यता मिल जाय तो अच्छा है नहीं तो विवाह हुये बाद अपने पति व देवर आदिसे पढ़ लिया करेंगी. कोई २ महाशय कन्याको पढ़ानेकेलिये बहुतसा व्यय व यत्न नहीं करते, सो यह उचित नहीं. हर्षका स्थान है कि हमारे नवयुवक बाबुगण पुत्रका समान कन्याओंको भी प्रेम करने लगे यद्यपि विचार किया जाय तो कन्याकी अपेक्षा पुत्र उपकारी है. परन्तु फलाफल देखकर न्यूनाधिक प्रेम करना स्वार्थपरताका ही काम है. कोई तो कन्या और जमाईकेद्वारा भी पुत्रहीन मातापिता सुखसे दिन काटते हैं.

पुत्रका विद्याभ्यास पूराहुये विना व बीस वर्षकी उमर हुये विना उसका विवाह कदापि नहीं करना चाहिये. हम लोगोंमें अनेकोंका बाल्यविवाह होनेसे विद्याशिक्षा व शारीरिकबलमें अत्यन्त हानि होती है. क्यों कि—विद्याभ्यासके समय विवाह कर देनेसे पुत्र अतिशय बुद्धिमान होनेपर भी प्रेमकी अनिवाध्य विंताके कारण पढ़नेमें मन नहीं लगा सक्ता, किन्तु दुश्चरित्र अथवा स्वच्छन्द हो जानेका अवसर आजाय तो उसका विवाह कर देनेमें विलम्ब भी नहीं करना चाहिये. क्योंकि फिर विलम्ब करनेसे सिवाय हानिके कोई लाभ नहीं हो सक्ता.

कन्याका विवाह १२ वर्षकी उमरमें पहिले कर देना उचित नहीं. उसकी शारीरिक अवस्था देख करके भी चलना चाहिये क्योंकि किसी २ कन्याको दश वर्षकी उमर होनेपर भी विवाह कर देनेकी आवश्यकता होती है और किसी २ कन्याको १५—१६ वर्षपर्यन्त कर्बारी रख सके हैं. वर, कन्यासे कमसे कम १० वर्ष और अधिकसे अधिक १५ वर्ष बड़ा होना चाहिये. अत्यन्त स्नेहका स्थान है कि कोई २ निष्ठुर मातापिता धनके लोभमें बर्शासन होकर अथवा कन्याको अन्नवस्त्रका कष्ट नहीं होगा, इस अभिप्रायसे तथा वंश गौरवकी वृद्धिकेलिये उच्छ्रद्धापूर्वक, धनवान् विद्यावान् व खानदानी देखकर ५०—६० वर्षके वृद्धको भी द्वादशी वर्षीया कन्याका विवाह कर देते हैं. इतने बर्षकी छोट बर्साई होनेसे कन्याके मनका भाव व इच्छा तथा वरके साथ एकता कदापि नहीं हो सक्ता. इससे प्रणयका उत्पन्न होना भी अत्यन्त असंभव है. विवाहका प्रधान उद्देश्य प्रणय है. खाना पहरना नहीं है. इससे बड़ी भारी हानि और शोककी बात यह है कि ऐसे वृद्धविवाहोंसे ही अनेक सुकुमार बालिकायें चिरकाल वैधव्ययन्त्रणा भोग करती हैं. इसलिये वृद्धके साथ विवाह करना अतिशय निन्दनीय है. हर्षका

स्थान है कि आजकल ऐसे वे जोड़के विवाहसे अनेक स्त्रियों को पृष्ण उत्पन्न होने लगीं.

वियोग.

(१०)

वियोग—यन्त्रणा अतिशय कष्टदायक होता है. वृद्धदम्पती भी पृथक् २ रहनेमें अतिशय दुःखित होते हैं. बहुतकालपर्यन्त वियोग होनेसे अनेक युवकयुवतीगण अतिशय दुर्बल व भयानक रोगसे ग्रसित हो जाते हैं. मस्तक घूमना मूर्च्छा आ जाना, आदि कठिन २ रोग दार्ष्टविरहका ही फल है. और यह भी देखनेमें आता है कि, अनेक युवकयुवतीगण दार्ष्टविरहके कारण कुपथगामी (व्याभिचारी) भी हो जाते हैं. क्योंकि दार्ष्टविरहसे दाम्पत्यप्रेम क्रम २ से हान हो जाता है.

आजकल दार्ष्टविरहका विषमयफल अनेक महाशय समझ भी गये हैं. देखनेमें आता है कि जिसको १५) २० मासिक आय है, वह भी अपनी प्रिय-पत्नीको परदेश लेजानेमें संकुचित नहीं होता. और स्त्रियों भी बन्धुबंधवादि शून्य परदेशवासमें कुछ भी कष्ट नहीं समझतीं. परन्तु इसमें कइयक हानियाँ होने लगीं कि, विदेशमें परिवारको लेजानेसे अनेक महाशय स्वदेशकी ममता व आनंदयोगोंका झेह भूल जाते हैं. और जिनकी थोड़ी आमदनी है, उनसे देशमें रहनेवाले वृद्ध माता पितादिकी कुछ भी सहायता करनेमें नहीं आती. दूसरे विदेशमें रोगशोकादि किसी विपत्तिके आनेपर दुःखका पार नहीं रहता. वहाँ कोई भी सहायक नहीं मिलते. प्रतिवर्ष कमसे कम १ बार अपने देशमें अवश्य ही आना चाहिये और जहाँतक बन सके पर रहनेवालोंकी सहायता करनेमें त्रुटि नहीं करनी चाहिये. परदेशमें स्त्रियोंको लानेसे पहिले कमसे कम १५) रुपये सेविगब्याङ्कमें जमा कर देना चाहिये.

विवारकर देखा जाय तो विरहका आवश्यकता भी है. क्योंकि सदैव एकत्र वास करनेसे प्रेमकी मधुरता मालूम नहीं होती. थोड़े दिनके वियोग होनेसे वही निस्तेज प्रेम चतुर्गुण हो जाता है. इसप्रकारके विरहकालमें युवकयुवती अपने २ दोषोंको देख सके हैं. और उन दोषोंके संशोधन करनेका भी संकल्प हो जाता है. परस्परके गुणस्मरण करके परस्पर की प्रतिमें अधिक तर आकृष्ट होते रहते हैं. परन्तु विरहके समय कुछ सावधानोंके साथ रहनेकी स्त्रियोंको ही अतिशय आवश्यकता है. ऐसे समयमें सर्वथा

आलस्ययुक्त बैठे रहना नहीं चाहिये. किसी न किसी कार्यमें लगा रहना ही चाहिये. प्राचीन इतिहास, रामायण (पद्मपुराण) महाभारतादि (पंचव पुराणादि) पढ़कर अथवा समवयस्क सदाचारी स्त्री पुरुषोंके साथ वार्त्तालापादि करके कालव्यतीत करना चाहिये. विरहिणीगणोंको विरहदुःख कम करनेकेलिये सुशीला सखीजनोंसे प्रेमालाप करना चाहिये. इसप्रकार नहीं करनेसे विरहयन्त्रणा दिन २ असह्य हो उठगी, दूसरे पतिका विरह जबतक रहे, तबतक सुहाग चिह्नोंके अतिरिक्त वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो नहीं रहना चाहिये. साधारण पोषाक व साधारण गहने रखने चाहिये. विरही युवकगणोंको विदेशमें दुश्चरित्र युवकोंके साथ घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिये. क्योंकि तुमको पद पदपर अनेक प्रकारके प्रलोभन हैं. अतएव सत्संगतिमें ही रहना चाहिये. सदाचारी विश्वासी मित्रके अतिरिक्त किसीके साथ भी प्रेमके वार्त्तालाप नहीं करने चाहिये.

पत्रव्यवहार करना विरहयन्त्रणा कम हो जानेका प्रधान उपाय है. क्योंकि पत्रव्यवहारमें आधा मिलाप हो जाता है. इसकारण इस बातको स्त्रीपुरुष दोनों ही ध्यानमें रखकर सदैव परस्पर पत्रव्यवहार करते रहना चाहिये.

धर्मानुष्ठान.

(११)

बहुधा देखनेमें आता है कि कोई मनुष्य तो दिनभर परिश्रम करते २ बड़ी कठिनातासे चार आने पैसे भी उत्पन्न करने नहीं पाता. और कोई २ कुछ भी परिश्रम नहीं करते तो भी सैकड़ों हजारों रुपये उपाज्जन करते हैं और किसी २ को तो लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति ही नहीं किन्तु राज्य संपदा भी सहजहीमें प्राप्त हो जाती है. ऐसी अवस्थामें प्रायः सर्वसाधारणके मुखसे यही वाक्य निकलता है कि, यह सब भाग्यकी महिमा है. पूर्वजन्ममें इसने कोई महत्पुण्य व धर्मानुष्ठान किया है उसीका यह फल है. और जो परिश्रम करते भी हानिमें और कष्ट उठाते हैं उनको पापी बताते हैं. इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे यह बात सर्वथा माननेमें आती है कि, संसारमें पुण्य पापका फल अवश्य मिलता है. अर्थात् शुभकार्योंके (धर्मकार्योंके) करनेसे सुखादिककी प्राप्ति होती है और अशुभकार्यों (पापकार्यों) के करनेसे दुःखकी प्राप्ति होती है. इसकारण दिनरातके २४ घंटोंमेंसे कमसे कम दो घंटे आगामी सुखकेलिये समस्त स्त्री पुरुषोंकी

धर्मानुष्ठान भी अवश्य करना चाहिये. जिससे इस लोकमें यशसुखकी प्राप्ति व परलोकमें उन्नतगतिकी प्राप्ति हो.

बहुतसे महाशयोंको ऐसा भ्रम है कि, "परलोक किसने देखा है, जो परलोकमें सुख होगा ही. यह कैसी मूर्खता है कि वर्तमान सुखको छोड़कर आगामी सुखकेलिये उपाय किया जाय." सो ऐसा कदापि नहि समझना चाहिये. धर्म और पापका फल, परलोकमें ही होता है ऐसा नहीं है. किन्तु इस लोकमें भी प्रत्यक्ष राज्यदंडादि फल देखनेमें आते हैं. और नीतिका वाक्य भी है कि:—

“त्रिभिर्ब्रह्मिभिर्मासैस्त्रिभिः पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः ॥

अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते” ॥ १ ॥

अर्थात् जो कोई अति उत्कट धर्मकार्य अथवा पापकार्य करता है तो उसका फल तीन दिन, तीन पक्ष, तीन मास अथवा तीन वर्षके भीतर २ इसी जन्ममें ही भोगना पड़ता है. सो यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है. जो तुम कहो कि इस जन्ममें जो फल होगा सो हो जाता है परन्तु परजन्ममें होता है, यह हमारे अनुमानमें नहि आता. सो उनको किञ्चित् विचार करना चाहिये कि कोई लड़का तो धनाढ्यके घर जन्म लेता है और उसको उत्पन्न होनेपर अनेक प्रकारके उत्सव होते हैं. और कोई लड़का गरीबके घर पैदा होता है तो उसकी माताके दुग्धकी भी प्राप्ति नहि होती. बलके अनेकोंकी माता जन्मने ही मरजाती हैं. सो यह क्या कारण है कि, कोई २ तो जन्मसे लेकर मरणपर्यंत सुखी होते हैं और किसीको जन्मसे ही मातापितादिके मरजानेसे कष्ट भोगने पड़ते हैं? क्या उन्होंने जन्मते ही पुण्यपाप करलिया था? कदापि नहीं. यह पूर्वजन्मके पुण्यपापका ही फल है, ऐसा मानना पड़ेगा इसकारण प्रत्येक दम्पतीको कमसेकम दो घंटे तक पुण्यकार्योंद्वारा धर्मोपाजन अवश्य ही करना चाहिये. हम यह नहि कहते कि प्राप्तसुखको सर्वथा त्याग करके सन्यासी हो बनमें जा बैठे; किन्तु जिसप्रकार किसान आगामी वर्षकेलिये बीज रख कर रोषके भन्नको अपने काममें लाता है, इसीप्रकार तुम भी पूर्वपुण्यके उदयसे जो सुखसम्पदाको प्राप्त हुये हो तो सर्वथा न भोगकर आगामी कालकेलिये भी धाँड़ा थोड़ा पुण्यकार्यमें व्यय करके संभय करते रहो.

अब कौनसा धर्म भ्रष्ट है और कौनसे धर्मके धारक होना चाहिये. सो इस विषयमें बड़ा विवाद है. प्रायः सब जने अपने २ पिता पितामहादिक जिस धर्मको सेवन करते आये, उसीको भ्रष्ट समझ उसीके पक्षपाती होते हैं. सो ऐसा कदापि

नहि होना चाहिये. तुमको अपनी बुद्धिसे परीक्षा करने पर जोनसा धर्म श्रेष्ठ भासै और जिसकेद्वारा अपना कल्याण होना समझो, उसको धारण करो. किसीके उपदेशसे अथवा देखादेखी करना सर्वथा अनुचित है. परन्तु धर्मकार्योंके करते समय इतना तो अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिये कि, जिस धर्मकार्यके करनेमें जंगम जीवोंको किसी प्रकारका कष्ट हो तो वह कार्य कदापि नहि करना चाहिये. क्यों कि, इस समय समस्त मतवालोंका यही एक सिद्धान्त होगया है कि, “अहिंसा परमो धर्मो हिंसा सर्वत्र गर्हिता” अर्थात् जीवोंकी रक्षा करना ही सो ही परम धर्म है और जिस कार्यके करनेमें जीवोंकी हिंसा हो, वही पापकार्य है. इसकारण जिस कार्यमें जीवोंको क्लेश या दुःख हो वह कार्य कदापि नहि करना चाहिये. और जिन ग्रन्थोंमें हिंसाके बढ़ानेवाले शाय्योंका प्रतिपादन हो, ऐसे ग्रन्थोंको भी कदापि नहि पढ़ना चाहिये. और जो ऐसे कार्योंके करनेका उपदेश दे, उनका उपदेश भी नहि सुनना चाहिये.

उपसंहार.

पाठक महाशय! क्या शोचा था और क्या हो गया! विचार तो यह था कि, एक ऐसा पुस्तक लिखू कि, जिनमें छां पुरुषोंके लिये सामाजिक और पारमार्थिक समस्त प्रकारको आवश्यक शिष्याये आ जावें. परन्तु प्रारंभमें ही ऐसे ढंगसे कलम चली कि जिससे किसी भी विषयको सविस्तर व भेदप्रभेद करके नहि लिख सका. लाचार इसको प्रथम भाग करके एक दूसरे भागके लिखनेका मानस किया. और उसमें किन २ आवश्यक शिष्योंका समावेश किया जाय, इस विषयका विचार करके जब विषयसूची लिखी तो इतने विषय हो गये कि उसके भी दो भाग करने पड़ेगे. क्योंकि इस दूसरे भागमें सामाजिकसुख, गार्हस्थ्यसुख, शारीरिकसुख, मानसिकसुख और अध्यात्मिकसुख इन पांच सुखोंका वर्णन करना विचारा है. परन्तु इन विषयोंके अन्तरविषय अनेक और विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेपर सामाजिक और गार्हस्थ्यसुखका तो एक भाग और शेषके तीनों सुखोंका एक भाग, इस प्रकार तीन भागोंमें पूरा होनेसे यह पुस्तक बहुत उपयोगी और इसमें आवश्यक शिष्योंका समावेश हो सक्ता है. और तब ही हमारे भ्रातृभगिनीगणोंके चित्तको अपनी ओर आकर्षण कर सक्ता है. यहांपर उन दोनों भागोंकी विषयसूची लिख देना भी उचित बोध होता है. क्योंकि—बहुतसे महाशय विषयसूची देखकर भी

पुस्तकके सारासारको जान सक्ते हैं. और किसी आवश्यकीय विषयके बढ़ाने वा अनावश्यकीय विषयके घटानेकी सम्मति भी दे सक्ते हैं. यदि पाठक महाशय विषयसूची देखकर न्यूनाधिक करनेकी अपनी सम्मति देकर कृतार्थ करेंगे तो लिखते समय उनकी सम्मतिका अवश्यमेव सत्कार किया जायगा.

दम्पतिसुखसाधन-द्वितीय-भागकी विषयसूची.

१। सांसारिक-सुख.

समाज किसको कहते हैं और वह किन २ नियमोंसे चलता है, सम्मिलन-शीलता (एकता) से क्या क्या लाभ होते हैं, धन किसको कहते हैं और वह किन २ उपायोंसे संग्रह होता है, धनसंग्रहका प्रथम आधार भूमि है. दूसरा आधार परिश्रम और तीसरा मूलधन है. परिश्रमका लक्षण और भेद, मूल धनका लक्षण और ऋणवृद्धिके कारण, भूमिकी ऋणवृद्धिके कारण, परिश्रमकी ऋणवृद्धिके कारण और परिश्रमको प्रबल करनेके उपाय, मूलधनकी वृद्धिके विस्तृत उपाय, दशजने मिलकर परिश्रम करनेके लाभ, दशजने मिलकर क्रयविक्रय करनेके लाभ, रकडेलपःयोनियर्सके दृष्टान्तसे उपर्युक्त दोनों कार्य्योंकी आवश्यकता, सौ-नमिल व गडैररकृषिप्रभृतिके दृष्टान्त, धनव्याप्ति, सम्पतिरक्षाके उपाय, व्यवसाय व चाणिय्य, सामाजिकसुखस्वच्छेदता होनेके उपाय, स्थानान्तर गमन, सन्तानो-त्पादननिवारण, संक्षिप्तविवरण. सभ्यताका फल व सुख, मुद्रायन्त्र, स्टीमएन्जिन, इलेक्ट्रिकव्यापार, टेलिफोन, फोनोग्राफ और समाजप्रवेश इसप्रकार ये समस्त विषय सामाजिक सुखमें सविस्तर लिखे जायंगे.

२। गार्हस्थ्यसुख.

गार्हस्थ्य, पति और स्त्री, पति और स्त्रीके सम्बन्ध, अंशीसम्बन्ध, सखीस-म्बन्ध, मानसिकविश्राम, आमोदप्रमोद, स्त्री-सम्बन्ध, सेविकासम्बन्ध, पूजकसम्बन्ध, सहधार्मिणीसंबंध, अंशीसम्बन्धीयकर्तव्य, जिसमें-गृहिणी, मितव्ययिता, भवि-ष्यतकेलिये संचय, अनावश्यकव्यय, आवश्यकीय व्यय, व्यर्थव्यय, नियम व रीति, परिश्रम, विवेकता, व्यवसाय, धैर्य, यथासमय कार्यसम्पादन, सद्व्यवहार, गृहणीपणा, रन्यनविद्या, सूचिविद्या, रजकविद्या, गृहसज्जा, आवश्यकीयगृहसज्जा, सौन्दर्यगृहसज्जा, साधारणगृहसज्जा, पसन्दता, दृष्टि, सौन्दर्यज्ञान, सामान्यद्रव्यसे

गृहसजा, प्रयोजनीयद्रव्य संग्रह, पशुपक्षीपालन, कृषि व पुष्पविद्या, गृहके आनुवंशिकविषय, संक्षिप्तविवरण. **सखीसम्बन्धीयकर्तव्य** जिसमें सखी (मैत्रीभाव), कथोपकथन, संगीतवाद्य, खेलना, हास्य कौतुक, आमोदप्रमोद, संक्षिप्तविवरण. **स्त्रीसंबन्धीयकर्तव्य** जिसमें स्त्री, सेविका, पूजक ये तीन विषय होंगे. **सहस्रमिणीसम्बन्धीयकर्तव्य** जिसमें चिरसंगिनी और गार्हस्थ्यसुखका वर्णन होगा. इस प्रकार इस द्वितीय भागमें दो प्रकारके सुखोका वर्णन होगा. जिसमेंसे प्रथम सुखमें पुष्पके कर्तव्योंकी शिक्षा और दूसरे सुखमें स्त्रीके कर्तव्योंकी शिक्षाका मुख्यतया उल्लेख होगा.

दम्पतिसुखसाधन-तृतीय-भागकी विषयसूची.

१। दैहिक-सुख.

मानवदेह, शारीरिकविद्या, रक्त, परिपाक, रक्तोत्पत्तिके उपकरण, शरीररक्षाके उपाय, पंचेन्द्रिय, मन और शरीर, स्वास्थ्यतत्व, वायु, जल, खाद्यपदार्थ, सुमिष्टशब्द, सौगन्ध, उपादेय आहार्य, सुकामलद्रव्य, देहरक्षा, परिश्रम, स्नान, आहार, निद्रा और दैहिकसुख. इस अध्यायमें इसप्रकार विषय लिखे जायंगे.

२। मानसिक-सुख.

मन, प्रीति, प्रीतिकी शाखा, प्रीतिके उपाय, प्रेम, प्रीतिका प्रकाशहोना, दर्शन, कथोपकथन, स्पर्शन, प्रीति व प्रेम, मानसिकराज्य, प्रेमका प्रकाश, प्रेमका समादर, सहानुभूति, और आत्मत्याग, इतने विषय मानसिक सुखमें लिखे जायंगे.

३। आध्यात्मिक-सुख.

आत्मा, अन्तरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, आकुलता (दुःख), निराकुलता (सुख), कर्मबन्धन, कर्मबन्धनका कारण, मोक्षका उपाय और मोक्ष इत्यादि अनेक विषय इस अध्यायमें लिखे जायंगे.

इसप्रकार इस तृतीयभागको तीन प्रकारके सुखोंमें सविस्तर वर्णन किया जायगा. आशा है कि, पाठक महाशय इन दोनों भागोंकी विषयसूची देखकर अपनी अमूल्य सम्मतिसे कृतार्थ करैंगे. और इन दोनों भागोंके मुद्रित होनेपर इनके कथनानुसार विचारपूर्वक कुछ भी अंश ग्रहण करके मेरेपरिश्रमको सफल करैंगे.

ग्रन्थकर्ता—स्वरूपचन्द्र सेठी.

सम्पादकीय प्रार्थना.

पाठक महाशय ! जिसने यह दम्पतिसुखसाधन प्रथमभाग लिखा था, और उपयुक्त प्रकारसे दो भागोंके बनानेकी प्रतिज्ञा और उत्साह प्रगट किया था, वह आज इस दुर्लभ्य मनुष्यदेहमें नहीं है, जिसकी अचानक महाशोकदायक मृत्युकी खबर अंक ३२ के अन्तमें आप पढ़ चुके हैं. यदि होता तो वह अपनी प्रतिज्ञासे भी अधिक कर दिखाता, परन्तु क्या किया जाय इस रंभधंसम असार संसारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है. एक दिन हमको भी इसी प्रकार अचानक ही चल देना पड़ेगा. इसकारण जो कुछ बनसके अपने व अपने कुटुंब, जाति, और देशके हितसाधनमें यथाशक्ति तनमनधन व्यय करना ही मनुष्य मात्रका परम कर्त्तव्य है. यद्यपि वह हमारी २५ इच्छाओंको पूर्ण करनेमें प्राणपनसे सहायता देनेकी तत्पर व प्रतिज्ञाबद्ध था. बलके मेरे कालवश होनेके पश्चात् भी मेरी समस्त इच्छाओंको पूर्ण करनेकेलिये प्रतिज्ञाबद्ध था. परन्तु खेद है कि आज मुझे ही उसकी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेका समय आगया. अर्थात्—जब वह मेरी इच्छाओंको पूर्ण करनेकेलिये तत्पर था तो अब मेरा भी कर्त्तव्य है कि उसकी इच्छानुसार और नहीं तो दो भाग तो पुरा करदूं. इसकारण अब ये दोनों भाग संक्षेप या विस्तार रूप जैसी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं ही लिखकर पाठकोंकी दृष्टिगोचर करूंगा. और द्रव्याभावके कारण पुस्तकाकार स्वतंत्र न छपाकर इस जैनहितैषी पत्रके द्वारा ही प्रतिमास एक २ दो दो विषय प्रगट करता रहूंगा.

आपका दास वही
पञ्चालाल बा. दि जैन.



प्रार्थना.

सकलशुण आगरी नागरी (हिन्दी) भाषाके रसिक पाठक महाशयोमे प्रार्थना हे कि यदि आप पुस्तकके शुभाशुभ आशयपर दृष्टि न रख केवलमात्र शुद्ध हिन्दी भाषाके ही रसिक हैं. और केवलमात्र वाक्यविन्यासकी सुन्दरताके ही भूखे हैं. तब तो इसपुस्तकको कदापि न पढ़ियेगा. क्योंकि हिन्दी भाषाकी सुन्दरताको मैं बिलकुल नहि जानता. इसलिए हिन्दी भाषाका सौन्दर्य बढ़ानेकेलिये सर्वथा अममर्थ हूं. यदि आप पुस्तकके विषयमे प्रेम रखते हैं तो इसपुस्तकको अवश्य ही पढ़िये किन्तु जरा ध्यान देकर पढ़िये.

आपका कृपाकांक्षी,

स्वरूपचन्द्र मेठी

पुस्तक मिलनेका पता—

पन्नालाल जैन मालिक—

जैनहितैषी पुस्तकालः

पो० गिरगांव मुम्बई.